मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

रमज़ान - हर एक की उन्नति का माध्यम

"रमज़ान हर साल हर व्यक्ति को अपने स्तर से उन्नति प्रदान करने आता है। जो व्यक्ति जिस स्तर तक पहुंच गया है चाहे वह स्तर कितना ही ऊंचा क्यों न हो, उससे उच्च स्तर तक पहुंचाने की क्षमता इसमें है। हर व्यक्ति कर्म, आत्मिकता, उपासना, अल्लाह से निकटता, इख़्लास (विनम्रता) संघर्ष, निग्रह संयम, त्याग, सुहानुभूति के जिस स्तर पर भी है, हर नया रमज़ान उसको उससे आगे बढ़ाने के लिये आता है। रमज़ान की बनावट, रमज़ान की व्यवस्था, रमज़ान का सवाब, रमज़ान की व्यस्तता और रमज़ान का माहौल ऐसा बनाया गया है कि हर व्यक्ति को स्वयं को उन्नति देने का अवसर प्राप्त होता है।"

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी (रह०)

JUNE-JULY
2016

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

₹10/-

इफ़ादात-ए-रसूल स०अ०

➢ रमज़ानुल मुबारक का सबसे पहला अश्रा रहमत, दूसरा अश्रा मग़फ़िरत और तीसरा अश्रा आग से आज़ादी का है।

➢ रमज़ानुल मुबारक के महीने में नेकी का काम करना सवाब के एतबार से ऐसा है जैसा दूसरे महीनों में फ़र्ज़ का अदा करना।

➢ रमज़ानुल मुबारक के अन्दर एक फ़र्ज़ को अदा करना ग़ैर रमज़ान में सत्तर फ़र्ज़ों को अदा करने के बराबर है।

➢ रोज़ा अस्ल में सब्र और ग़मख़्वारी का महीना है, जिसकी बरकत से जन्नत का परवाना मिलता है और रिज़्क़ में वुसअत होती है।

➢ रमज़ानुल मुबारक में किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराना गुनाहों से माफ़ी और जहन्नम से नजात का ज़रिया है।

➢ रमज़ानुल मुबारक में ख़ूब ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार करना चाहिये, क्योंकि इससे अल्लाह तआला की रज़ा हासिल होती है, इसी के साथ जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह भी मांगते रहना चाहिये।

➢ रमज़ानुल मुबारक में इस उम्मत को बतौर ख़ास पांच चीज़ें दी गयी हैं– १– रोज़ादार की मुंह की बदबू मुश्क़ से ज़्यादा अल्लाह को पसंद होना। २– दरिया की मछलियों का दुआ करना। ३– जन्नत का हर रोज़ रोज़ेदारों के लिये सजाया जाना। ४– सरकश शैतानों को क़ैद किया जाना ताकि बुराई न फैला सकें। ५– रमज़ान की आख़िरी रात में रोज़ेदारों को मग़फ़िरत का परवाना हासिल होना।

➢ रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की रहतमें नाज़िल होती हैं और ख़तांए माफ़ की जाती हैं और दुआंए कुबूल की जाती हैं।

➢ रमज़ानुल मुबारक में चौबीस घन्टे के अन्दर एक घड़ी ऐसी भी होती है जिसमें मुसलमान रोज़ादार की दुआ अल्लाह तआला कुबूल फ़रमाता है।

➢ रमज़ानुल मुबारक में सहरी करने वालों पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है।

➢ रोज़ा इन्सान के लिये ढ़ाल है जब तक कि इन्सान सही तौर से रखता रहे।

➢ रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा बग़ैर किसी वजह के छोड़ना ऐसा है कि उसकी तलाफ़ी ज़िन्दगी भर के रोज़े रख कर भी करना नामुमकिन है।

➢ रमज़ानुल मुबारक में शब–ए–क़द्र को तलाश करना ज़रूरी है क्योंकि अगर इससे महरूम रह गये तो मानो की बहुत बड़ी ख़ैर की चीज़ से महरूमी हो गयी।

➢ शब–ए–क़द्र में इस दुआ को पढ़ना चाहिये,

"اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى"

ऐ अल्लाह तू बिलाशुब्हा माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद फ़रमाता है, तू मुझको भी माफ़ फ़रमा दे।

➢ एतकाफ़ करने वाले की गुनाहों से हिफ़ाज़त रहती है और उसके लिये नेकियां वैसे ही लिखी जाती हैं जैसे नेकी का काम करने वाले के लिये लिखी जाती हैं।

➢ अल्लाह की रज़ा की तलब की ख़ातिर एतकाफ़ करने वाले के लिये अल्लाह तआला उसके और जहन्नम के बीच तीन ख़न्दक़े आड़ फ़रमा देते हैं, जिसकी चौड़ाई आसमान व ज़मीन की चौड़ाई से भी ज़्यादा है।

➢ जन्नत को शुरू साल से आख़िरी साल तक रमज़ान के लिये सजाया जाता है।

➢ रमज़ानुल मुबारक में उम्मते मुहम्मदिया स०अ० के लिये जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।

➢ रमज़ान के आख़िरी दिन इतनी ज़्यादा तादाद में अल्लाह तआला लोगों की माफ़ी फ़रमाते हैं जितना की शुरू रमज़ान से हर दिन बन्दों को माफ़ फ़रमाते हैं।

➢ शब–ए–क़द्र में इबादत करने वाले के साथ फ़रिश्ते भी साथ में होते हैं और उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं।

➢ ईद के दिन अल्लाह तआला कहता है देखो मैंने उनको रोज़ों और तरावीह के बदले में अपनी रज़ा अता की।

بسم الله الرحمن الرحيم

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक:६-७ जून-जुलाई २०१६ ई० वर्ष:८

संरक्षक: हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी (अध्यक्ष - दारे अरफ़ात)

निरीक्षक
मौ० वाज़ेह रशीद हसनी नदवी
जनरल सेकेरेट्री- दारे अरफ़ात

सह सम्पादक
मौ० नफ़ीस ख़ॉ नदवी

सम्पादकीय मण्डल
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी
अब्दुस्सुबहान नाखुदा नदवी
महमूद हसन हसनी नदवी

मुद्रक
मौ० हसन नदवी

अनुवादक
मोहम्मद सैफ़

E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

इस अंक में:

एक कड़वा सच..२
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

रोज़े का उद्देश्य..३
मौलाना सैय्यद राबे हसनी नदवी

ज़कात महत्व एवं लाभ..६
मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह०

मुबारक किताब कुरआन करीम..९
अब्दुस्सुब्हान नाखुदा नदवी

रोज़े की कुछ अनिवार्यताएं एवं मसले.............१३

रमज़ानुल मुबारक और मन की पड़ताल...........१७
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

तक़वा रमज़ानुल मुबारक का अस्ल तोहफ़ा.......१८
मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी

ज़कात महत्व एवं मसले..............................१८

जमाअत एवं इमामत की फ़ज़ीलत व आदेश.....१८
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

एतिकाफ़..२८

नाम के रोज़ेदार..३०
मुहम्मद अरमुग़ान बदायूंनी नदवी

शब—ए—क़द्र..३१
शमसुल हक़ नदवी

सम्पादक: बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल—नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली, यू०पी० 229001

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला खॉं, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण, मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल—नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

प्रति अंक 10रू

वार्षिक 100रू०

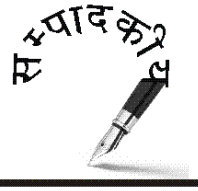

सम्पादकीय

एक कड़वा सच

● बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

हमारे देश का आधार लोकतन्त्र पर रखा गया और इसके लिये यह एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। यहां विभिन्न समुदाय रहते हैं और विभिन्न धर्मों व सभ्यताओं के मानने वाले हमेशा से यहां रह रहे हैं। इस देश ने सबको गले लगाया। इसके अतिरिक्त इसकी एक बड़ी ख़ूबी यह है कि यहां हमेशा कमज़ोरों को उनका अधिकार दिया गया और सबके लिये दरवाज़े खुले रखे गये। लेकिन आज का एक कड़वा सच यह है कि यह स्थिति धीरे–धीरे बदलती जा रही है और देश पूँजीवाद की ओर बढ़ रहा है। दूरदृष्टि रखने वाले लोग जानते हैं कि किस प्रकार कमज़ोर और छोटा कारोबार करने वाले लोग इसका शिकार हुए थे और मध्यवर्गीय लोग बल्कि अपर क्लास के लोग भी इसका शिकार बनते जा रहे हैं। पूरे देश में एक अजीब स्थिति पैदा हो रही है। लोगो के कारोबार ठप हो रहे हैं। मायूसी फैल रही है और इसके परिणाम में आत्महत्या का रूझान बढ़ रहा है। यह स्थिति पूरे देश के लिये एक ख़तरा बनती जा रही है और यदि इस समस्या पर विचार न किया गया और देश के शुभचिन्तकों ने इसे स्थिति के समापन का प्रयास न किया तो पूरा देश ख़तरे में पड़ सकता है। यह कुछ स्वार्थी विचारधारा रखने वाले लोगो की एक लाबी है जो अपने फ़ायदे के लिये देश का सौदा करने को तैयार है और यह क़िस्सा नया नहीं है। इसका आरम्भ उस समय हुआ था जब यहां शासन स्तर पर इस्राईल से संबंध स्थापित होना आरम्भ हुए थे। यह विचारधारा वास्तव में वहीं की पैदावार है और वहां से लायी गयी उस अमानवीय विचारधार को इस देश पर थोपा जा रहा है। शायद एक समय वह आने वाला है कि केवल दो–चार कम्पनियों के हाथ में पूरे देश की बाग़डोर होगी और लोकतन्त्र की पूरी तरह से हत्या कर दी जाएगी और शायद उस समय न किसी के पास बोलने के लिये ज़बान होगी और न लिखने के लिये क़लम।

देश का बुद्धिजीवी वर्ग और वह वर्ग जिसको हर क़ीमत पर देश का फ़ायदा प्यारा हुआ करता था आज उसकी भी बोली लगायी जा रही है और लगता है कि इस देश में हर हक़ीक़त मर गयी है। केवल दो वास्तविकताएं जीवित हैं, एक पैसे से प्यार और दूसरी साम्प्रदायिक नफ़रत। इसके लिये आदमी सबकुछ करने को तैयार है। इसके लिये पूरे देश का सौदा किया जा सकता है।

देश की आज़ादी के लिये जिन लोगो ने कुर्बानियां दी थीं, आज उनक विचार व नज़रिये पीछे चले गये हैं। उन्होंने देश को जिन बुनियादों पर खड़ा किया था वे बुनियादें ढाई जा रही हैं और किसी को इसका ख़्याल नहीं। इसका परिणाम क्या होने वाला है। सच्चे और खुले विचार रखने वालों की नींद यदि उड़ जाती तो आश्चर्य की बात न थी। कश्ती हिचकोले ले रही हो और उसके सवार आराम की नींद सो रहे हों और उनको अंजाम का ज़रा भी एहसास न हो। समस्या यहां रहने वाले किसी समुदाय या किसी धर्म की नहीं है, समस्या पूरे देश की है। उन उसूलों की है जिन पर देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहा है। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल ग़ुब्बारे की तरह नज़र आ रही है। विभिन्न विषयों के द्वारा सीधे–साधे लोगो को बहलाया जा रहा है और उनको अस्लियत से बेख़बर रखने का प्रयास किया जा रहा है। ग़ुब्बारे की हवा कब निकल जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता।

इस ख़तरनाक स्थिति में होश के नाख़ून लेने की आवश्यकता है। अतीत व वर्तमान से आगाह होने की और उपाय करने की आवश्यकता है। देश यदि उन सही नियमों व उसूलों पर टिका रहेगा जो उसके लिये बनाए गये थे तो हालात बेहतर होंगे वरना इस देश का ख़ुदा ही हाफ़िज़ है।

रोज़े का उद्देश्य

हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

इस दुनिया में बसने वाले हर इनसान पर अल्लाह तआला के एहसानों को गिनना तो दूर की बात, उनको गिनने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। न ही इनसानो को उन एहसानो का इस प्रकार ध्यान रहता है जैसा कि वांछित है। इसीलिए अल्लाह तआला ने जगह–जगह पर अपने इल्म व रहम (ज्ञान व कृपा) का वर्णन किया है। यह बताया है कि हम बहुत रहम करने वाले हैं, तुम्हारी करतूतों पर, बहुत जानने वाले हैं तुम्हारे आमाल (कर्मों) को, मानों मनुष्यों के कुकर्मों के परिणाम में अल्लाह के सामर्थ्य से यह बात बाहर न थी कि इस दुनिया को ख़त्म कर दिया जाता। मगर यह उसका रहम है कि उसने दुनिया को बसाए रखा। अपने उपकार किये यद्यपि इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि उन उपकारों का हक़ अदा करने की ओर ध्यान दो और वह इस प्रकार होगा कि तुम अल्लाह की नाफ़रमानी (अवज्ञा) न करो। उसकी दी हुई चीज़ों से वैसा ही फ़ायदा उठाओ जैसा कि उसने आदेश दिया है। उसके आदेशानुसार नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज अदा करो। उन सभी कामों में भी सभी मनुष्यों के लिये ऐसी छूट रखी गयी है कि जिससे अधिक छूट के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। हज जोकि मुश्किल काम था उसके बारे में कहा गया कि उस व्यक्ति पर फ़र्ज़ (अनिवार्य) है जो वहां जाने की क्षमता रखता हो। रास्ते में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा गया कि उस पर जीवन में एक बार हज फ़र्ज़ है। इसी तरह ज़कात के बारे में कहा गया कि ज़कात साल में एक बार उन लोगो को देना है जिनके पास इतना माल हो जितनी मात्रा पर एक साल बीतने पर ज़कात फ़र्ज़ (अनिवार्य) होती है। रोज़ा जो साल भर रखना कठिन था उनके बारे में कहा गया कि केवल साल में एक महीना रखना है उसमें भी माज़ूर, बीमार और यात्री को छूट दी गयी है। और उसकी तुलना क्या चीज़ दी जाए उसको बताया गया है। इसी प्रकार नमाज़ है कि चौबीस घन्टे में पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ना किसी के लिये मुश्किल काम नहीं। बल्कि कभी–कभी नमाज़ अदा करने से शरीर और अधिक शुद्ध व निर्मल हो जाता है।

यह वे काम है जिनके करने से मनुष्य अपने रब का आज्ञाकारी व शुक्र अदा करने वाला बन्दा कहलाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि अल्लाह के उपकारों का उसके निकट मूल्य है। वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य को उन सभी आदेशों पर भरपूर अमल करने की कोशिश करनी चाहिये। क्योंकि मनुष्य के जीवन के हर–हर मोड़ पर अल्लाह तआला के मनुष्यों पर इतने उपकार किये हैं जिनका हिसाब लगाना संभव नहीं। यदि खेतों से ग़ल्ले की पैदावार कम हो जाए, ज़मीन से उगने की क्षमता समाप्त हो जाए तो कौन है जो ज़मीन से ग़ल्ला निकाल सके। इसी प्रकार ज़मीन से पानी निकलना बन्द हो जाए, पानी ज़मीन के अन्दर चला जाए तो कौन सी ऐसी ताक़त है जो ज़मीन से बोरिंग करके पानी बाहर निकाल दे। इसी प्रकार यदि वह वातावरण जिसमें हम सांस लेते हैं, गन्दा हो जाए, उसमें अल्लाह की ओर से अपनेआप सफ़ाई की जो व्यवस्था है वह ख़त्म हो जाए तो कौन सी ऐसी खोज है जो सारी दुनिया को सांस दिला सके। यदि हवा में सफ़ाई की प्राकृतिक व्यवस्था समाप्त कर दी जाए तो कुछ ही क्षणों में मनुष्य मर जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य के अन्दर अल्लाह तआला ने बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता रखी है यदि यह क्षमता समाप्त हो जाए तो पता चलेगा कि मनुष्य एड्स का शिकार हो जाएगा।

कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया से चल बसेगा। यह अलग बात है कि इस ख़तरनाक बीमारी का साधारणतयः कारण मनुष्य का प्रकृतिक तरीक़े से हटना है और अश्लीलता व शैतानियत वाले रास्ते को अपनाना होता है। इसमें भी अल्लाह तआला ही का एहसान है कि उसने न जाने कितने चक्र से गुज़ार कर बन्दे तक उम्दा लिबास पहुंचाया। अर्थ यह कि पता यह चला हर–हर मनुष्य पर अल्लाह तआला के इतने उपकार हैं जिनको मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। इसलिए हर समय यह कोशिश होनी चाहिए कि यद्यपि हम अल्लाह तआला के उपकारों की गणना नहीं कर सकते फिर भी उसके बताए हुए जो आदेश हैं, उनको पूरा करने का भरपूर प्रयास करें और उसके अन्दर यह भी ध्यान रहना चाहिये कि हमें अपने अन्दर ज़रा भी अजब महसूस न हो। यह ख़्याल न आये कि हम बहुत बड़े इबादतगुज़ार या शुक्रगुज़ार बन्दे हैं।

पुरानी क़ौमों में किसी बुज़ुर्ग का क़िस्सा आता है कि उन्होंने पूरे सत्तर साल तक किसी एक जगह बैठकर अल्लाह तआला की इबादत की। एक दिन यह विचार आया कि इस समय इनसानो में हमसे बढ़कर कोई भी इबादतगुज़ार और पहुंचा हुआ बन्दा नहीं है। हमारे लिये तो बिना किसी हिसाब के जन्नत तय है। अतः उनको सपने में एक आश्चर्यजनक दृश्य नज़र आया वे देखते हैं कि हम किसी चटियल रेगिस्तान में हैं जहां न छाया है न पानी, केवल धूप व तपिश है। कहीं सर छिपाने तक की जगह भी नहीं है। ऐसे में उनकी हालत ख़राब हो जाती है और प्यास से बुरा हाल हो जाता है। ऐसा लगता है कि ज़िन्दगी के आख़िरी सांसे चल रही हों। इतने में एक व्यक्ति पानी का कटोरा लिये नज़र आता है। वे उसको देखकर पानी की ओर लपकते हैं और कहते हैं कि अपने पानी का यह प्याला हमको दे दो। हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। वह व्यक्ति कहता है कि पानी क़ीमत से मिलता है। इसकी क़ीमत सत्तर साल की इबादत है। यदि तुम सत्तर साल की इबादत के बदले यह पानी ख़रीदना चाहो तो ले सकते हो। अतः वे सज्जन सत्तर साल की इबादत देकर वह पानी का कटोरा लेते हैं। उस पर उनको ख़ुदा की ओर से सचेत किया जाता है कि तुमने अपनी सत्तर साल की इबादत एक कटोरे पानी के बदले दे दी तो हमने न जाने ज़िन्दगी में तुमको कितने कटोरे पानी मुफ़्त पिलाया है, क्या उसकी क़ीमत अदा कर सकते हो? इससे पता चला कि यदि कोई व्यक्ति अल्लाह तआला की इबादत करके, उसका शुक्रगुज़ार बन्दा बनकर अपने दिल में इस तरह के ख़्यालात रखता है तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य कभी भी अल्लाह तआला के एहसानों का बदला नहीं चुका सकता है। इसीलिए इनसान जितना मुकल्लफ़ था, उतने का आदेश दे दिया कि अमुक काम कर लो, उससे तुम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बन्दे माने जाओगे। लेकिन हमारा हाल यह है कि हमें अपनी व्यस्तता से फ़ुरसत नहीं मिलती। अल्लाह के उपकारों पर शुक्र अदा करने का ध्यान भी नहीं आता। यह ख़्याल आता है कि हमारी सारी नेमतें (सुख–सुविधाएं) हमारी मेहनत का सिला हैं। यह हमारी निजी मेहनत का नतीजा हैं।

कुरआन मजीद में फ़रमाया गया कि अल्लाह तआला ने मोमिनों की जान व माल को जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। मानो ईमानवालों को ख़रीदने में क़ीमत जन्नत की सूरत में अता की गयी है, जहां बेशुमार नेमतें होंगी। ऐसी नेमतें होंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। दुनिया की नेमतें तो इनसान को कुछ घन्टे या कुछ दिनों के लिये ही मिलती हैं लेकिन आख़िरत की नेमतें ऐसी होंगी जो सदा के लिये होंगी। कुरआन मजीद के इस फ़रमान से यह भी मालूम हुआ कि जब अल्लाह तआला ने ईमान वाले से उनकी जान व माल को ख़रीद लिया है तो अब उन्हें यह हक़ नहीं है कि वे उसमें ज़रा भी बेजा ख़र्च करें, बल्कि उनकी ज़िम्मेदारी यह है कि वे अमानतदारी का भरपूर सुबूत दें। जैसे कि कोई व्यक्ति बाज़ार से कोई सामान ख़रीदे, और उसके बाद उसी दुकानदार से कहे कि अमुक समय तक इस सामान को रखो, उसका इस्तेमाल करो, फिर कुछ अर्से बाद हम अपना सामान वापिस ले लेंगे। अब उस

सामान के साथ वह दुकानदार एक शरीफ़ाना मामला ही करेगा। उसको अपनी चीज़ नहीं समझेगा। उसके दिमाग़ में यह बात होगी कि यह किसी दूसरे की चीज़ है। यदि इसमें कोई कमी हुई तो कल इसके मालिक के सामने शर्मिन्दा होना होगा। मानो जिस तरह यहां इस दुकानदार को इस अमानत का एहसास है, इससे कहीं बढ़कर हर कलिमा पढ़ने वाले को इस बात का यक़ीन होना चाहिये कि हमारी जान व माल हमारा अपना नहीं है कि हम इसको जैसा चाहें वैसा ख़र्च करें, बल्कि हमको वही करना है जो अल्लाह तआला का हुक्म होगा। इबादत व आचार–व्यवहार में उसने जो आदेश दिये हैं, उन्हीं पर अमल करना होगा।

अल्लाह तआला के आदेशों की पैरवी करने और उस पर मिलने वाले अज्र व सवाब का एक बेहतरीन साधन रमज़ानुल मुबारक का महीना है। जिसमें आम दिनों में मिलने वाले अज्र व सवाब को बढ़ा दिया जाता है। चूंकि हमारी उम्रें बहुत छोटी हैं, इसलिए अल्लाह तआला ने हमें यह महीना अता किया है कि हम इसमें उम्रों के कम होने के बावजूद हमारे नेक कामों का एक बड़ा भण्डार हो जाएगा, यद्यपि यह बात तय है कि यह भण्डार आदमी के काम करने से ही होगा केवल दावे या ज़बानी तौर पर मुसलमान कह देने से ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि जिन कामों पर जन्नत मिलने का वादा है उन कामों के करने से ही भण्डार हो सकता है। क्योंकि जन्नत एक ऐसी जगह है, जहां इनसान को सबकुछ तब मिलेगा जब वह दुनिया की ज़िन्दगी में काम करके जाएगा, वहां इनसान के लिये नेमतें यहां के कार्यों से पैदा होंगी। इसीलिए अल्लाह तआला ने हमको रमज़ान जैसा महीना दिया है ताकि इसके ज़रिये हम जन्नत में अपने लिये नेमतें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, क्योंकि इस महीने में हर नेकी का सवाब सत्तर गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात है कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की कोशिश करें। अल्लाह तआला ने खाने–पीने पर दिन में जो पाबन्दी लगायी है, उसका ख़्याल रखें। इसी के साथ रोज़े में ख़ास तौर पर इस बात का भी ध्यान रखें कि रोज़ा सिर्फ़ खाना–पीना छोड़ देने का नाम नहीं है, बल्कि झूठ बोलने, ग़ीबत करने, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने, बेहयाई के कामों से दूर रहने का भी नाम है, बल्कि रमज़ान में बहुत से उन कामों से भी मना किया गया है जिनकी आम दिनों में आज्ञा है। इसलिए हमें इस बात का भी विशेष रूप ध्यान रखना चाहिये कि कहीं हमारा रोज़ा सिर्फ़ खाना–पीना छोड़ देने का नाम तो नहीं। यदि ऐसा रोज़ा है तो हदीस शरीफ़ में बताया गया है कि अल्लाह को ऐसे रोज़े की कोई आवश्यकता नहीं है। रोज़े की स्वीकृति उन सभी कामों से पूरी तरह दूर हो जाने पर आधारित है जिनको इस्लामी शरीअत मना करती है।

रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर हर इनसान को यह कोशिश करनी चाहिये कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अल्लाह की इबादत में गुज़ारे। तौबा व इस्तिग़फ़ार में लगा रहे। गुनाहों की माफ़ी मांगे। दिल से तौबा करे। आगे गुनाह न करने का इरादा करे। किसी के अधिकारों का हनन किया है तो पहले उस व्यक्ति से माफ़ी मांगे, बाद में अल्लाह तआला से माफ़ी मांगे। यदि किसी से बातचीत बन्द है तो अपने आमाल ख़राब करने के बजाए उससे बातचीत करे। सलाम में पहल करने की कोशिश करे। अल्लाह तआला ने इसमें बड़ा सवाब रखा है। यदि कोई व्यक्ति उन सभी बातों की पाबन्दी करता है तो इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ान का महीना नेकियों को कमाने का महीना है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की चिन्ता करनी चाहिये। जिस तरह किसी ख़ास व्यक्ति की किसी ख़ास अवसर दुकान ज़्यादा चलती है तो उसको बन्द करने की कोई चिन्ता नहीं होती। रात भर खोलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हो। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें यह एहसास होना चाहिये कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। रातों को जागा जाए। ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा आख़िरत के एतबार से मिलता रहे। यह ध्यान करके फ़ायदा उठाए कि ज़िन्दगी का कोई भरोसा नहीं कि अगले साल ऐसा मुबारक महीना नसीब होगा या नहीं।

ज़कात - महत्व व लाभ

मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०)

ज़कात इस्लाम के पाँच आधारभूत कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। कुरआन मजीद में जगह–जगह पर नमाज़ के साथ ज़कात का वर्णन है। यहां तक कि ज़कात को अस्मत (सम्मान), माल व जान और नमाज़ से संबंधित कर दिया गया है। क्योंकि आदमी ज़कात अदा करके जान के एतबार से सुरक्षित होता है। इसी तरह नमाज़ और ज़कात के बारे में यह भी कहा गया है कि यह दोनों अल्लाह के हाकिम होने का प्रदर्शन है यानि अल्लाह के बन्दे अल्लाह को हाकिम मानते हैं और उसके आगे माथा टेकते हैं और अपने पास जो कुछ है वह उसके लिये ख़र्च करते हैं। मानों कि अल्लाह तआला की हुकूमत, हाकिमियत, बड़ाई व महानता का प्रदर्शन करने वाला वही होगा जो यह दोनों काम करे। क्योंकि यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी मुश्किल से किसी के हवाले करता है और बड़ी मुश्किल से किसी के आगे झुकता है और बड़ी मुश्किल से अपने पैसे को किसी चीज़ में लगाता है। इसलिए अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में और उसके बाद रसूलुल्लाह स०अ० ने बड़े स्पष्ट रूप से नमाज़ और ज़कात का वर्णन किया है कि अगर तुम सच्चे हो और अल्लाह को हाकिम मानते हो तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी यह है कि नमाज़ अदा करने वाले, ज़कात देने वाले बनो। लेकिन जैसा कि आज नमाज़ पढ़ने वालों की संख्यां घट रही है ठीक इसी तरह ज़कात देने वालों की संख्या में भी कमी होती जा रही है, हालांकि इस्लाम में दोनों चीज़ें अनिवार्य हैं।

यद्यपि जहां तक रोज़े और हज का संबंध है वे अल्लाह से प्रेम का प्रदर्शन हैं। क्योंकि अल्लाह तआला के अन्दर दोनों विशेषताएं हैं और उन चारों के द्वारा अल्लाह ने अपनी पहचान भी करायी है और लोगों को बताया है कि अगर मैं एक ओर हाकिम हूं तो दूसरी ओर प्रिय भी हूं। लेकिन जो लोग ग़लत धर्मों के मानने वाले हैं, उन्होंने खुदा को समझने में बड़ी ठोकरें खायी हैं। या तो बिल्कुल खुदा को मुहब्बत का देवता समझा, या उसको केवल हाकिम घोषित कर दिया। जबकि दोनों बातें खुदा की ज़ात से अलग हैं। इसीलिए इस्लाम ने खुदा का सही विचार प्रस्तुत किया है। अतः उनमें से दो कामों हाकिमियत का प्रदर्शन घोषित किया है और दो को प्रियता का प्रदर्शन घोषित किया है। और उनमें से ज़कात एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसको अल्लाह तआला ने इनसानों की सच्चाई और सदाक़त को ज़ाहिर करने के लिये उन पर अनिवार्य कर दिया है।

ज़कात का अर्थ है कि वह मनुष्य को पाक व साफ़ करने वाली हो और उससे फ़ायदा यह है कि जो पाक व साफ़ होता है वह हल्का भी होता है यानि उसके अन्दर आमाल के एतबार से भारी वज़न होता है लेकिन तबियत हल्की होती है। यूं भी जिस्मानी एतबार से अगर देखा जाए तो कुछ दिनों तक सफ़ाई न करने की वजह से इनसान की तबियत बोझिल हो जाती है। इसीलिए ऐसे ही ज़कात देने वाले की तबियत हल्की हो जाती है और जो लोग न नमाज़ पढ़ते हैं और न ज़कात देते हैं उनकी तबियत बोझिल हो जाती है। इसलिए कि नमाज़ इनसान की रूहानी ज़मीन को अल्लाह की इताअत से हमवार कर देती है। जिसकी तफ़सील पिछले पन्नों में बयान की जा चुकी है। अलबत्ता ज़कात इनसान के अन्दर सफ़ाई पैदा करती है क्योंकि इनसान को अल्लाह ने पैसे की मुहब्बत के साथ जोड़ दिया है: "यानि इनसान को पैसे की आख़िरी दर्जे में मुहब्बत है।" इसीलिए मुहावरे के तौर पर कहा जाता है कि "चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए" यानि आदमी का मारपीट कर लेना सब सही है, लेकिन पैसा लेना ठीक नहीं है। पता चला कि पैसे की मुहब्बत इनसान की घुट्टी में है। मानो इनसान का अस्ल मर्ज़ दुनिया और पैसे की मुहब्बत है। क्योंकि दुनिया और पैसा एक दूसरे के पूरक हैं और दुनिया के बारे में आप स०अ० ने फ़रमाया: "दुनिया की मुहब्बत हर बुराई की जड़ है" अतः जो दुनिया यानि पैसे की मुहब्बत में पड़ा होगा तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसे की मुहब्बत में पड़ा होगा

वह उतना ही ख़ुदा से दूर होता चला जाएगा। क्योंकि अल्लाह तआला ने दुनिया व आख़िरत दोनों को बिल्कुल यूं रखा है कि अगर इनसान दुनिया की तरफ़ मायल हो जाए तो आख़िरत से उसकी दूरी होती चली जाएगी और अगर आख़िरत की तरफ़ मायल हुआ तो दुनिया से दूरी होती चली जाएगी। लिहाज़ा ज़्यादा कामयाब वही शख़्स होगा जो आख़िरत की मुहब्बत के मुक़ाबले में दुनिया की मुहब्बत पर क़ाबू पा ले। जैसा कि हदीस में आता है कि "हर उम्मत का एक फ़ित्ना है और मेरी उम्मत का फ़ित्ना माल है" जिसको यूं समझा जा सकता है कि जिस तरह हर जानवर की एक लगाम होती है, जिसकी लगाम को पकड़कर उस पर क़ाबू पाया जा सकता है, वरना जानवर क़ाबू में नहीं आ सकता है, इसी तरह दुनिया में फ़ित्ने भी बहुत हैं बल्कि दुनिया पूरी तरह से फ़ित्ना है लेकिन इसमें सबसे बड़ा फित्ना माल है जिसको अगर कोई क़ाबू में कर ले तो सारे फ़ित्ने अपने आप क़ाबू में आ जांएगे। मानो दुनिया को एक जानवर समझिए और उसकी नकेल माल समझिए कि माल हाथ में होने के बावजूद भी इनसान उसको क़ाबू में रखे यानि सही तरीक़े से ले, सही तरीक़े से रखे। अतः अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो मानो पूरी दुनिया उसके क़ाबू में आ जाएगी लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो यह दुनिया बेनकेल जानवर की तरह हो जाएगी। इसको हर जगह परेशानी होगी। जैसा कि कोई परेशान जानवर किसी खोत में मुंह मार देता तो लाठियां खाता है। ऐसे ही जब हम परेशान होकर कोई काम करेंगे तो उसके कारण दुनिया में हमको परेशानी उठानी पड़ेगी। ऐसा कोई नहीं होगा जो बच जाए। बल्कि अल्लाह की तरफ़ से परेशानियां आएंगी अगर दुनिया में न पकड़े गये तो आख़िरत में ज़रूर पकड़ होगी।

लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस अज़ाब से बचा रहना चाहता है तो उसको अपने माल की सुरक्षा के लिये ज़कात अनिवार्य रूप से देनी होगी ताकि उसका पैसा पाक हो सके। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी याद रहे कि पहले पैसा पाक कमाई का होना भी शर्त है, न कि हराम माल की कमाई से ज़कात निकाल कर यह समझा जाए कि पैसा पाक हो गया। यह विचार ग़लत है कि नाजायज़ कमाया फिर ज़कात दे दी और समझे कि पाक हो गया, क्योंकि ज़कात उस हराम माल को पाक करने के लिये नहीं बल्कि माल को बचाकर रखे रहने से जो बदबू और सड़न पैदा हो जाती है उसको दूर करने के लिए वास्तव में ज़कात की व्यवस्था है। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो न सड़ जाये इसी तरह यदि माल की ज़कात न निकाली जाएगी तो वह पैसा भी सड़ जाता है और यह सड़न एक-दो पैसे के अन्दर नहीं आयेगी बल्कि सारा पैसा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इससे बचने के वास्ते अल्लाह तआला ने ज़कात निकालने का आदेश दिया है जिससे फ़ायदा यह होगा कि सारा पैसा फ़िलटर यानी साफ़ हो जाएगा।

ज़कात का जो पैसा निकाला जाता है हदीस में उसको "औसाख़ुन्नास" कहा गया है। इसी कारणवश यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि यह पैसा हर एक को नहीं दिया जा सकता है। यहीं से यह बात भी समझ में आ गयी कि यदि यह पैसा मैल न होता तो हर एक को दिया जा सकता था। लेकिन इसके बारे में यह आदेश दिया गया कि यह पैसा उसको दिया जाएगा जो इसको लेने का हक़दार हो। क्योंकि ज़्यादा पैसे वाले बासी खाना नहीं खा सकते, न ही साधारण खाना खाएंगे, बल्कि उच्च भोजन करेंगे, लेकिन जो बेचारे ग़रीब लोग होते हैं, वे मामूली खाना खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, इसीलिये अमीर व ग़रीब में अल्लाह तआला ने यही अन्तर रखा है कि अमीर ज़्यादा खाना नहीं खाता क्योंकि उसको भूख कम लगती है अतः उसके लिये ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसको श्रेष्ठ खाद्य पदार्थ की ही आवश्यकता पड़ती है ताकि वे अपने पेट के अनुसार खांए और चूंकि ग़रीब मेहनत करता है, इसीलिये उसको भूख भी ज़्यादा लगती है तो उसका पेट अल्लाह तआला ने ऐसा बना दिया कि उसको सब चीज़ हज़म हो जाती है। अतः इसी प्रकार ज़कात के पैसे का भी मामला है कि जिसके द्वारा अल्लाह तआला उसके दिल व दिमाग़ को पाक कर देगा तो इनसान का सारा टेनशन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आज हम न जाने कितनी बातें टेनशन की करते हैं और फिर डाक्टर के पास इलाज करवाते हैं। हालांकि उसका मूल कारण यह है कि हम ज़कात जैसे फ़र्ज़ को भूले हुए हैं। जिस प्रकार अमीर ज़्यादा दाल रोटी नहीं खा सकता है क्योंकि उसका पेट ख़राब हो जाएगा उसी प्रकार वह ज़कात का गन्दा पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि उसका आत्मिक संतुलन बिगड़ जाएगा और चूंकि ग़रीब इनसान को हर चीज़ जल्दी हज़म हो जाती है इसीलिये उसको यह माल देना मुनासिब होगा।

ज़कात के माल को ग़रीब को देना इस मिसाल से भी समझा जा सकता है कि जिस तरह फिलटर मशीन में गन्दा पानी डालकर पानी को फिलटर कर दिया जाता है इसी लिये ग़रीब इनसान भी मानों उस माल को फिलटर करने की एक मशीन है जिसके अन्दर यह गन्दा माल यदि कोई व्यक्ति डाल दे तो वह उसके पास जाते ही फिल्टर हो जाएगा लेकिन अब व जिस पर चाहे यह माल इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसने अपने फ़ाक़े और ग़रीबी की मशीन में डालकर इस गन्दे माल को फिलटर कर दिया है यद्यपि इस बात से मना किया गया है कि ऐसा माल मालदार इनसान को न दिया जाए बल्कि फ़क़ीरों को दिया जाए।

मालूम यह हुआ कि ज़कात इनसान को पाक साफ़ करने का सबसे बड़ा साधन है जो कि एक इनसान को उन्नति देती है और बढ़ाती है। क्योंकि इनसान पैसे और दुनिया की मुहब्बत में इस क़दर पड़ा हुआ है कि उससे निकलना आसान नहीं है। लिहाज़ा उसी मुहब्बत को दिल से निकालने के लिये हुक्म दिया कि जो व्यक्ति ज़कात देने की क्षमता रखता हो वह अपने माल में से ढ़ाई प्रतिशत हर हाल में निकाले और ढ़ाई प्रतिशत इस मात्रा में रखा गया है कि किसी पर बोझ न पड़े, जिसके साथ बेशुमार फ़ायदे भी जुड़े हुए हैं। जैसेः जो व्यक्ति ज़कात देता है उसका फ़क्र ख़त्म हो जाता है, उसका दिल सुकून पा जाता है, उसके बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, आपस में मुहब्बतें पैदा होती हैं, एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों का एहसास पैदा होता है, यहां तक कि दुनिया की कुदूरतों के संदर्भ में जो बुराइयां मनुष्य के अन्दर पैदा हो जाती हैं वे भी दूर होती चली जाती हैं जैसे हसद, कपट, घमन्ड इत्यादि सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं। संक्षेप में यह कि ज़कात अदा करने के अनेक लाभ हैं। पता यह चला कि ख़ूबियों को पाने और बुराइयों से छुटकारा पाने का हल यह है कि इनसान के दिल से दुनिया और पैसे की मुहब्बत निकल जाए और उसको निकालने का बेहतरीन साधन अल्लाह तआला ने ज़कात के कर्तव्य के रूप में अता किया है।

इस्लामी शरीअत में माल को कभी–कभी जान से पहले रखा गया है ताकि उसको ख़र्च करने का महत्व स्पष्ट रूप से लोगों के सामने मौजूद रहे। जिहाद अपने माल और अपनी जानों के द्वारा किया जा सकता है यानि पहले माल फिर जान और माल हर व्यक्ति दे सकता है। यद्यपि यह अलग बात है कि कोई थोड़ा दे या ज़्यादा दे वह इनसान के इख़लास पर आधारित है। क्योंकि इसमें हैसियत नहीं देखी जाती कि कितना दिया, बल्कि नियत देखी जाती है इसलिये यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर ज़कात वाजिब नहीं फिर भी वह व्यक्ति अपनी हैसियत के मुताबिक़ सदक़ा देता है तो फिर उसकी भी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिये कि किसी ग़रीब की मदद करना बहुत बड़े सवाब ज़रिया होता है जो कभी–कभी इनसान को बड़ी बड़ी इबादत से भी मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रह0 कहते थे, "बहुत से लोग वे हैं जो हज पर हज और उमरा पर उमरा करते हैं, हालांकि उनके पड़ोस में भूखा शख़्स रहता है, और उनके पड़ोस की बेटी कुंवारी बैठी होती है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिये कि ऐसे मौक़े पर ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करने की कोशिश करे, ताकि ग़रीब की ज़रूरत भी पूरी हो जाएं और उसको भी बड़ा सवाब मिल जाए। लेकिन याद रहे कि आदमी उसमें भी अपने अन्दर की इच्छाओं की पूर्ति न कर रहा हो, जिसमें सारे काम बेकार हो जाते हैं।

ज़कात अदा करने में इस बात का विशेष ध्यान रहे कि इनसान जब ज़कात अदा करता है तो उसे खुशी के साथ अदा करना चाहिए। यह सोच कर अदा करना चाहिये कि इसके द्वारा उसका माल सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन ज़कात देने से पहले आजकल के दौर में सही जानकार लोगों से जानकारी हासिल होने के बाद ही अदा करना चाहिये ताकि हमारी अदा की हुई ज़कात ग़लत कामों न अदा हो जाए। यदि एक व्यक्ति इन सभी चीज़ों की पड़ताल करके ज़कात निकालेगा तो उसका दिल भी पाक हो जाएगा और माल भी पाक हो जाएगा और जब माल पाक हो जाएगा तो माल में बरकत हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह पाक माल ही कुबूल करता है। अतः पता यह चला कि हमारी कमाई भी सही होनी चाहिये, फिर ज़कात भी उसकी पूरी–पूरी देनी चाहिये, ऐसा न हो कि डंडी मार लें, जिस तरह खाने कमाने में डंडी मारते हैं। क्योंकि यूं भी शरीअत ने ख़ुद ऐसा हुक्म दिया है जो कि ज़्यादा बोझ वाला नहीं है, बल्कि तय है कि जिसके जानवर ज़्यादा हैं तो उसकी ज़कात आमदनी से निकालनी है, यदि किसी के पास व्यापार का माल है तो उसमें ज़कात निकालनी है इसके अतिरिक्ति वे विभिन्न रूप जो माल की पैदावार की शक्लें हैं उन सबकी तय ज़कात निकालनी है। अतः जिसके पास जिस प्रकार का भी माल हो उसको चाहिये कि उसका हिसाब लगाने के बाद उलमा से पूछकर उसकी ज़कात अदा करे जिसके द्वारा अल्लाह उसके दिल व दिमाग़ को पाक कर देगा।

मुबारक किताब – कुरआन करीम

अब्दुस्सुब्हान नाख़ुदा नदवी

अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के मार्गदर्शन के लिये जितनी किताबे उतारी हैं निसंदेह सभी किताबें बहुत ही कल्याण कारी, पवित्र और महानता वाली थीं। ईमान वालों को इस बात का आदेश है कि वे सभी किताबों पर ईमान रखें इसलिए कि वे अल्लाह की किताबें थीं, एक जगह कहा गयाः

"ऐ मुहम्मद! आप कहिये कि मैं अल्लाह की उतारी हुई हर किताब पर ईमान ले आया।" (सूरह शूराः 15)

दूसरी जगह आता हैः

"रसूलों और मोमिनों में सबके सब अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान ले आए।" (सूरह बक़राः 285)

व्यक्तिगत महानता और बरकत के एतबार से अल्लाह की सभी किताबें बहुत ही कल्याणकारी और महान हैं। यद्यपि अल्लाह तआला ने अपनी बहुत सी किताबों के लिये बहुत से ख़ास और स्पष्ट वर्णन किये हैं। उदाहरण के तौर कुरआन करीम में तौरेत के लिये "इमाम" का शब्द प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि अल्लाह तआला की चार प्रसिद्ध किताबों में से सबसे पहले तौरेत नाज़िल (अवतरित) हुई अतः इमाम का शब्द उसके लिये बहुत ही उपयुक्त था। यह किताब सभी बनी इस्राईल के लिये मार्गदर्शक थी और बाद में आने वाली सभी किताबों की पुष्टि करती थी। स्वयं कुरआन मजीद की पुष्टि तौरेत सदियों पहले कर चुकी थी। अल्लाह तआला ने कुरआन करीम की सत्यता का एक उदाहरण यह प्रस्तुत किया है कि कुरआन मजीद को बनीइस्राईल के उलमा ख़ूब पहचानते हैं, कहते हैंः

"यह किबात (यानि इसके उसूल व हिदायत) तो अगलों के सहीफ़ों में मौजूद हैं। क्या उनके लिये (यानि न मानने वालों के लिये) यह निशानी काफ़ी नहीं कि इस किताब को बनी इस्राईल के उलमा ख़ूब जानते हैं।" (सूरह शूराः 196–198) साफ़ बात है कि बनी इस्राईल के उलाम का अर्थ तौरेत का सही ज्ञान रखने वाले उलमा (ज्ञानी) हैं। इस अनुसार तौरेत का लिये इमाम का शब्द बहुत ही उचित था कि बाद में नाज़िल होने वाली अल्लाह की किताबों की पहचान का एक महत्वपूर्ण साधन तौरेत थी।

अल्लाह तआला ने अपनी आख़िरी किताब कुरआन करीम के बहुत सी विशेषताएं बतायी हैं। इन विशेषताओ में से एक महत्वपूर्ण विशेषता इस किताब का "मुबारक" होना है। मुबारक शब्द "बरकत" से बना हुआ है। बरकत अत्यधिक भलाई और भलाई के लगातार होने को कहते हैं। जिस चीज़ से कोई बड़ी भलाई वजूद में आए उसे मुबारक कहा जाता है। जैसे लैलतुल क़द्र को अल्लाह तआला ने "लैलतुल मुबारका" कहा। इसलिए कि इसी रात में कुरआन करीम नाज़िल हुआ। अल्लाह ने अपने बन्दों के लिये दायमी (स्थायी) ख़ैर (भलाई) उतारी। इस रात को हज़ार महीने से बेहतर बताया। इसमें फ़रिश्तों को ज़मीन पर उतारा जाता है। इस लिहाज़ से यह रात बहुत ही मुबारक है।

अल्लाह तआला ने अरबों की संख्या में सितारे और सय्यारे (ग्रह) बनाए लेकिन अपनी ख़िलाफ़त को स्थापित करने के लिये जिस ग्रह का चुनाव किया वह ज़मीन थी जिसमें हम और आप बसते हैं। ज़मीन की पैदाइश का हाल बयान करते हुए कुरआन करीम कहता हैः "अल्लाह ने इस ज़मीन में बड़ी बरकतें रखीं" जितना ख़ैर ज़मीन में पाया जाता है चाहे भौतिक हो या आत्मिक किसी और ग्रह की क़िस्मत में ऐसा ख़ैर नहीं रखा गया है। इसी ज़मीन पर अल्लाह की किताबें उतारी गयीं, और अल्लाह के महानतम रसूल भेजे गये और यहीं दफ़्न हुए। सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य के लिये इस ज़मीन को बसने की जगह बनाया गया। इस धरती के लिये बहुत ही सम्मान की बात है कि अल्लाह

तआला ने इसका संबंध अपनी ओर जोड़ाः "ऐ मेरे बन्दो जो ईमान लाए हो मेरी ज़मीन बहुत वसीअ (विशाल) है बस मेरी ही इबादत करो।" (सूरह अनकबूतः 65)

हर पानी अल्लाह का है। लेकिन अल्लाह ने बारिश के पानी को मुबारक पानी कहा है। बारिश की रहमत से सूखी ज़मीन हरी–भरी होती है। देखते ही देखते खेत लहलहाने लगते हैं। इस पानी के लिये इनसान को सिरे से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जिन क्षेत्रों में पानी पहुंचने का कोई और साधन न हो वहां बिना किसी श्रम के यह पानी बरसाया जाता है। अल्लाह कहता हैः "हमने आसमान से मुबारक पानी उतारा। हमने बाग़ व ग़ल्ले उगाए जिसकी खेती काटी जाती है। सरोक़द खजूर के पेड़ उगाए जिनमें खजूर के परत दर परत गुच्छे लगते हैं, यह सब बन्दों को खिलाने पिलाने के लिये हम करते हैं, इसी पानी से हम मुर्दा बस्ती के तन में जान डाल देते हैं।" (सूरह क़ाफ़: 9–11)

अल्लाह तआला का हर घर मुबारक है, लेकिन अल्लाह के लिए बनाए जाने वाले पहले घर काबातुल्लाह की बरकतों की कोई हद नहीं। इसी से हर दौर में इस्लाम व मुसलमानों की केन्द्रियता स्थापित रही। अल्लाह की सबसे पहली इबादतगाह होने पर इसे सभी इनसानो के लिये दारोमदार बनाया गया। दुनिया को एकेश्वरवाद का पाठ इसी घर से प्राप्त हुआ। इसी एकेश्वरवाद के आधार पर दुनिया अमन व शांति का केन्द्र बनी। आज भी यही दर पूरी दुनिया के मार्गदर्शन का सबसे बड़ा केन्द्र है। अल्लाह तआला ने अपने इस घर की तारीफ़ ''मुबारक'' शब्द से की हैः "सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिये बनाया गया वह घर है जो मक्का में है, बहुत ही बाबरकत सारे जहानों के लिये सरासर हिदायत" (आले इमरानः 96)

क़ुरआन करीम अल्लाह तआला की सबसे बरकत वाली किताब है। इसकी बरकतों से आज सारी दुनिया मालामाल है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की और किताबें भी बरकत वाली थीं, लेकिन उनकी क़ौमें अपनी अपनी किताबों को संभाल न सकीं। वे किताबें इस प्रकार बदलाव का शिकार हुईं कि शक्ल व सूरत तक बदल दी गयी। जिन भाषाओं में वे किताबे उतारी गयी थीं वे भाषाएं तक सलामत न रहीं। जब अस्ल किताब ही बदलाव के ज़ख़्मों से छलनी हो गयीं तो वे इनसानो के ज़ख़्मों की क्या भरपायी कर पाती।

क़ुरआन करीम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ऐसी मुबारक किताब साबित हुई कि ख़ुद उसने अरबी ज़बान की हिफ़ाज़त की। यदि यह किताब न होती तो अरबी भाषा न जाने कितने चूले बदल कर एक नयी भाषा बन चुकी होती। यह मुबारक किताब अपने बचाव के लिये भाषा की मोहताज न रही, बल्कि अरबी भाषा अपने बचाव के लिये इसकी मोहताज हो गयी। यह किताब इस लिहाज़ से भी मुबारक है कि इसमें भलाई बढ़ती ही जा रही है। एक नुक़्ते और शोशे के बदलाव के बग़ैर ज़्यों की त्यों उम्मत के हाथ में मौजूद है और आगे भी इसी तरह रहेगी। इस किताब के पढ़ने वाले करोड़ो की संख्या में हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी और समझी जाने वाली किताब केवल क़ुरआन मजीद है। इसके हाफ़िज़ लाखों की संख्या मे हैं। यह इस किताब की खुली हुई बरकत है जिसके हज़ारवें हिस्से तक भी कोई किताब न पहुंच सकी।

इसकी बरकत का एक अन्दाज़ा यह भी है कि केवल इसी किताब के पढ़ने के लिये तजवीद का फ़न–ए–क़िराअत वजूद में आया। यह दुनिया के इतिहास में सबसे पहली और आख़िरी बार हुआ है कि किसी किताब को पढ़ने का एक ख़ास अन्दाज़ अपने पूरे उसूलों व नियमों के साथ वुजूद में आया हो। इसी मुबारक किताब का ख़ैर कसीर (अत्यधिक भलाई) था कि सारा अरब अत्यधिक विरोध के बावजूद उसके आगे हथियार डाल देता था। अरब ख़ानदानी शराफ़त के बाद भाषा के आधार पर किसी क़बीले का वर्चस्व क़ुबूल करते थे। हर क़बीला अपनी भाषा को उच्च स्तर की भाषा क़रार देता था। उनको एक प्लेटफ़ार्म पर जमा करने के लिये ज़रूरी था कि ऐसी ज़बान में उनके लिये हिदायत का सामान (मार्गदर्शन) किया जाता जिसके सामने तमाम के तमाम सर झुका दें। इस लिहाज़ से भी क़ुरआन करीम उनके लिये बहुत ही मुबारक थी। इसके फ़साहत (स्पष्टता) के स्तर के सामने हर क़बीले ने खुल्लम खुल्ला अपनी हार मान

ली वरना उस ज़माने के लिहाज़ से यह मुमकिन न था कि कोई किसी अरब को ज़बान का ताना दे। कुरआन ने तो उनको वह चैलेंज दिया जिसमें उनके लिये कुछ कमतरी का भी पहलू था फिर भी वे कुछ न कर सके और बहुत सारे मोजज़ए कलाम के एजाज़ (वाणी के चमत्कार) पर कुर्बान हो गये। कुरआन ने यहां तक कहा कि उसकी एक सूरत जैसी कोई सूरत तुम बना लाओ और सारे जहानों से मदद लो तब भी यह मुमकिन न होगा। ऐसा ही हुआ कि यह कुरआन का ख़ैर कसीर ही था कि यह अहले ईमान को अता हुआ और बहुत सारे काफ़िर भी कुरआन की इस बरकत से ईमान ले आए।

उलूम अरबिया (अरबी भाषा का ज्ञान) के लिये भी कुरआन करीम सबसे बढ़कर बाबरकत है। अहले नहू (व्याकरण के ज्ञाताओं) ने अक्सर नहवी क़वाएद (व्याकरण के नियम) कुरआन से लिये। अहले बलाग़त (गूढ़ता के ज्ञानी) तो कुल बलाग़त को कुरआन की देन समझते हैं। वास्तव है भी ऐसा ही। अहले क़लम (लेखकों) ने यहां से क़लम की रवानी सीखी और अहले ख़ताबत (वक्ता) को जोशीला भाषण इसी कुरआन से मिला। उलूम अरबिया के तमाम माहिर व्यक्ति का इस पर सहमत हैं कि अरबी उलूम के जो भण्डार कुरआन पाक से हासिल हुए वे कहीं और से हासिल न हो सके।

कुरआन की बरकत यह भी है कि उससे अहले ईमान का ऐका क़ायम है उसकी मुहब्बत और अज़मत की दौड़ में पूरी उम्मत इस्लामिया बंधी हुई है। हज़ारों ग़ैर मुस्लिम केवल इस किताब को पढ़कर इस्लाम में दाख़िल हो चुके हैं और आगे भी दाखिल होते रहेंगे।

इस किताब की बरकत यह भी है कि यह दिल के सुकनू का सबसे बड़ा साधन है। इसकी तिलावत से दिल को सुकून व दिमाग़ को राहत मिलती है। अल्लाह वालों की रातें इससे आबाद रहती हैं। अहले इल्म का इल्म इसी से क़ायम है। ज़माने के नित नये चैलेज्स का मुक़ाबला करना यह किताब सिखाती है और एक उच्च स्तर प्रस्तुत करती है जिस पर हर नयी चीज़ को परख कर उसकी हैसियत तय की जा सकती है। उसका ख़ैर कसीर (अत्यधिक भलाई) यह भी है कि एक आम इनसान से लेकर एक आला दर्जे के ज़हीन इनसान को यह एक ही साथ संतुष्ट करती है। यह जहां भी पढ़ी जाए ऐसा महसूस होता है कि मानो ख़ास इस जगह और इस माहौल को ध्यान मे रखकर इसे उतारा गया है। इसका कमाल यह है कि इसे जहां भी पढ़ा जाए एक समा बध जाता है। ख़्वाब की आगोश में तस्बीह व मुनाजात (दुआ) भी है और वसा अख़लाक़ में तकबीर मुसलसल भी। ख़ामोश तन्हाईयों की यह सबसे अच्छी दोस्त है और ज़िन्दगी के हंगामों में सबसे आगे बढ़कर नेतृत्व भी यही करती है।

इस तरह हर दौर में इस मुबारक किताब को दाग़दार करने की मनसहूस कोशिश की जाती रही लेकिन साज़िश करने वालों की हर चाल उन्हीं पर उलट पड़ी। इस किताब के ख़ैर कसीर में कोई कमी न हीं आयी। यह इसी आन बान के साथ रहनुमाई का काम करती रही। यह ज़माने से आगे रहने वाली किताब है। बोसीदगी (पुरानेपन) का यहां कोई तसव्वुर नहीं। ज़माना जिस रफ़्तार से आगे बढ़ता है उससे कहीं ज़्यादा रफ़्तार ये यह किताब चल रही है। अस्ल में यह किताब ज़माने की ज़िन्दगी है। यह इस किताब के मज़ामीन हिदायत और तालीमात को हर ज़माने की रहनुमाई के लिये पेश करने में कभी अहले दीन को दुश्वारी नहीं हुई और न हो सकती है वरना यहां हाल यह है कि कुछ सालों ही में किताब आउट आफ़ डैट क़रार दी जाती है।

इस मुबारक किताब का ख़ैर कसीर यह भी है कि इसने इनसानियत को बुनियाद बनाया। जब यह किताब नाज़िल हुई तो उस वक़्त सारी दुनिया ला तादाद गिरोहों में बटी हुई थी। दुनिया में हर तरह की सदाएं थी। ऐ रोमियों, ऐ अरबो, ऐ ईरानियों, ऐ हिन्दुस्तान के लोगो, इसी तरह क़ौमी, वतनी , नस्ली, क्षेत्रीय और क़बीलाई बुनियाद पर लगयी हुई सदाओं से सारा आलम जल रहा था लेकिन (ऐ इनसानों!) की सदा कहीं भी न थी। सइ किताब ने दुनिया पर सबसे बड़ा एहसान किया कि कुल इनसानो को एक मां बाप की औलाद बताकर इनसान को इनसान से जोड़ा । और सबसो एक रब की पैदावार बतारक एक लाइन में खड़ा किया। और या अय्यूहन नास की जामेतरीन

सदा जलायी। आज दुनिया में जहां कहीं इनसानियत के नाम पर कुछ दर्द पाया जाता है। वह इस किताब और इसे पेश करने वाले नबी का एहसान हैं अफ़सोस है कि हज़ार तरक्क़ी के बावजूद आज भी इनसान इसी जाहिलियत के ज़ख़्मो को चाट रहा है। जिस जाहिलियत ने इनसानियत के टुकड़े टुकड़े कर दिये थे। आप दुनिया के किसी इलाक़े में जाएं वही पुरानी सड़ी हुई जाहिलियत नज़र आयेगी। "ऐ इनसानो" से मुख़ातिब करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। मफ़ादात (लाभ) के इलाक़ो ने अपने अपने मफ़ादात ने कुएं खोद रखे हैं। और इसी कुएं के मेढक बने टरटरा रहे हैं। वसी इनसानी समन्दर को ख़िताब करने वाला कोई और नहीं है यह इस मुबारक किताब को बरकत थी कि इसी बिना पर तमाम इनसान एक क़रार पाए। और यह हमागीर ऐलान हमेशा के लिये कर दिया गया "ऐ इनसानो! ळमने तुम सबको इक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हे जान पहचान के लिये क़बीलो और बिरादरियों में बांटा बिला शुब्हा अल्लाह के नज़दीक तुममे सबसे बढ़कर इज़्ज़तवाला वह है जो तुममें सबसे ज़्यादा अल्लाह का लिहाज़ रखता है।" (सूरह हुजुरातः 13)

इस मुबारक किताब की बरकतों को क़लम से नहीं लिखा जा सकता। ज़िन्दगी का, क़ौमों, हालात का, सभ्यता व संस्कृति का, और इनसानी इच्छा व समाज का, अर्थव्यवस्था का कोई मसला लीजिए उस किताब की रोशनी में हल की ओर आइए फिर देखिये कि इसकी बरकतें कैसे हासिल होती हैं और मसले के हल इस चाभी से किसी तरह एक एक करके खुलते चले जाते हैं। अल्लाह तआला ने बज़ाते खुद इस किताब को मुबारक बताकर इसमें ग़ौर व तदब्बुर करने की दावत दी है और सही ग़ौर व फ़िक्र करने वाले को अक़्ल व दानिश का हामिल करार दिया है। ग़ौर व तदब्बुर इसी में किया जाता है जो अपने अन्दर अलग–अलग मसलों का हल रखता है। "यह किताब हमने आपकी तरफ़ उतारी है निहायत बाबरकत किताब ताकि ग़ौर करनेवाले इसकी आयतों मे ख़ूब ग़ौर करे और अक़्ल रखने वाले इससे नसीहत हासिल करें।" (सूरह सादः 9)

शेषः रमज़ान का महीना और मन की पड़ताल

आग से पनाह मांगो। जो शख़्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए अल्लाह तआला (क़यामत के दिन) मेरे हौज़ से उसको पानी पिलाएंगे, जिसके बाद जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी।"

फिर आप स0अ0 की ज़िन्दगी के बारे में आता है कि प्रत्येक अशरा (दस दिन) आपकी इबादतों में बढ़ोत्तरी होती जाती। आख़िरी अशरा आता तो आप स0अ0 कमर कस लेते, रातों को जागते, और घरवालों को भी जगाते, और सख़ावत का यह हाल होता कि, "उनका जूदोसख़ा तेज़ हुआ से भी ज़्यादा होता।" हर प्रकार की नेकियों पर उभारते, कहते कि ––– है, ग़मगुसारी का महीना है, जो इसमें अपने गुलामों और नौकरों के बोझ को हल्का कर दे, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके बोझ को हल्का कर देगा, आप स0अ0 ने यहां तक कह दिया कि, हलाक हो वे शख़्स जिनको यह मुबारक महीना मिले और उसकी मग़फ़िरत न हो, रमज़ान गुज़र जाए और आदतों में फ़र्क न आये, जिन्दगी का रुख़ सही न हो, मन की पड़ताल करने की ख़ूबी न पैदा हो, यह बड़ी बदनसीबी की बात है।

यह महीना कुरआन व सुन्नत को, रसूलुल्लाह स0अ0 की मुबारक सीरत को सामने रख कर मन को तौलने का महीना है, हमारे अक़ीदे व इबादत, मामले, सामाजिकता, व्यवहार, ज़िन्दगी का तरीक़ा किस तरीक़े के साथ मेल खाता है। हर छोटी बड़ी चीज़ को तौला जाए। किताब व सुन्नत के चौखटे में फिट करके देखा जाए। कहां कमी है, कहां अधिकता है, दूसरों के तरीक़े हमने कहां तक अपनी ज़िन्दगी में उतार लिये हैं और रसूलुल्लाह स0अ0 की सुन्नतें हमसे कहां–कहां छूट रही हैं। सुन्नतें इबादत की भी हैं, मामलों व सामाजिकता की भी हैं। रसूलुल्लाह स0अ0 ने हमें सबकुछ दिया है। यह महीना उन सभी चीज़ों को जज़्ब करने का है। सुन्नतों की रोशनी आती जाएगी तो जिहालत के अंधेरे निकलते जाएंगे। लेकिन ग़ौर करने की बात यह है कि हम उन सुन्नतों में फ़र्क़ न करें, जिस तरह इबादत की सुन्नतें हैं, उसी प्रकार मामलात व सामाजिकता की भी सुन्नतें हैं। हमें एक पूरा नमूना अपनाना है और यह नमूना ग़ैरों में इस्लाम की कशिश का सबसे बड़ा साधन भी है।

रमज़ानुल मुबारक
अहकाम एवं मसले

सहरी व नियत

रोज़े चाहे रमज़ान का हो चाहे किसी और चीज़ का। बहरहाल उनके लिये सहरी खाना सुन्नत है। रोज़े की शुरूआत सुबह–ए–सादिक (प्रातः काल का समय) के उदय होने से होती है और ये सूरज डूबने पर ख़त्म होता है। इसलिये शरीअत ने यह सहूलत दे रखी है कि रोज़ेदार सुबह होने से पहले सहरी खा ले ताकि रोज़े में ताक़त बहाल रहे। अलग–अलग हदीसों में आप स0अ0 ने इसका शौक़ दिलाया है। इसीलिये सहरी में सवाब होने पर उम्मत एकमत है। सहरी उतनी देर तक खायी जा सकती है कि सुबह होने की शंका न हो, रात के बचे होने का भी शक न हो। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि0 से रिवायत है कि हम लोग जब रसूलुल्लाह स0अ0 के साथ सहरी करते थे तो सहरी और फ़ज्र की अज़ान के बीच पचास आयत की तिलावत के बराबर का अन्तर होता था। आम तौर इतना कुरआन पांच–छः मिनट में पढ़ा जाता है।

अगर इस ख़्याल से सहरी खाई कि अभी सुबह नहीं हुई है हालांकि सुबह हो चुकी थी तो रोज़े की क़ज़ा वाजिब (अनिवार्य) होगी, कफ़्फ़ारा वाजिब (अनिवार्य) नहीं होगा, अगर शक हो कि शायद फ़ज्र का वक़्त हो गया तो बेहतर है कि खाना–पीना छोड़ दे फिर भी अगर खा ले और सुबह होने का यक़ीन न हो तो उसका रोज़ा हो जायेगा।

इसीलिये आप स0अ0 का इरशाद है: "सहरी खाओ सहरी में बरकत है।" (बुख़ारी 1923)

एक दूसरी हदीस में आप स0अ0 ने फ़रमायाः "हमारे और अहले किताब (यहूदी, इसाई इत्यादि) के रोज़ों में अन्तर और श्रेष्ठता सहरी खाने की है (हम खाते हैं और वो नहीं खाते हैं)।" (मुस्लिम 2550)

रही नियत तो इसके बग़ैर रोज़ा नहीं होगा। इसीलिये अगर एक व्यक्ति सुबह से शाम तक उन सभी चीज़ों से परहेज़ करे जिनसे रोज़ादार परहेज़ करता है लेकिन उसकी नियत रोज़ा रखने की न हो तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इसीलिये आप स0अ0 का इरशाद है: "जो फ़ज्र से पहले ही नियत न करे उसका रोज़ा नहीं होगा।" (तिरमिज़ी 730)

कई दूसरी हदीसों को देखते हुए फ़ुक़्हा (धार्मिक विद्वान) ने फ़रमाया कि ज़वाल (अर्थात सूर्य का सर के ठीक ऊपर होना) से एक घन्टा पहले नियत कर ले किन्तु शर्त यह है कि कुछ खाया–पिया न हो तो रमज़ान का और नफ़िली रोज़ा रखना दुरूस्त होगा और नियत का केन्द्र क्योंकि दिल होता है इसलिये सिर्फ़ दिल में ये इरादा कर लेना काफ़ी है कि कौन सा रोज़ा रख रहा हूं ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं यद्यपि बेहतर यही है कि ज़बान से भी कह दे। (हिन्दिया 1/195)

जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता

भूल कर खाने–पीने, सर में तेल लगाने और नहाने–धोने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर दिन में सो जाये और एहतलाम (वीर्य स्खलित होना) हो जाये तो रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह दिन में इन्जेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है लेकिन बेहतर यही है कि अगर बहुत सख़्त ज़रूरत न हो तो इफ़्तार के बाद इन्जेक्शन लगवाये। मिस्वाक चाहे ताज़ी या हरी हो या ख़ुश्क और सूखी हो उससे रोज़ा नहीं टूटता है यद्यपि मन्जन इत्यादि करना मकरूह है और अगर मन्जन हलक़ के नीचे उतर जाये तो रोज़ा टूट जायेगा। अगर ज़बान से कोई चीज़ चखकर थूक दे तो रोज़ा नहीं टूटता, यद्यपि अनावश्यक ऐसा करना मकरूह है।

रमज़ान के महीने में अगर किसी का रोज़ा किसी वजह से टूट जाए तब भी उस पर अनिवार्य है कि

रामज़ान के सम्मान में रोज़ेदार की तरह खाने–पीने से परहेज़ करे।

क़ज़ा व कफ़्फ़ारा वाजिब होने की सूरतें

रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें दो तरह की हैं। कई वो हैं जिनसे क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम होते हैं, और वो चीज़ें ये हैं:

पति–पत्नी का संबंध स्थापित करना, चाहे स्खलित (वीर्य निकलना) हो या न हो दोनों हालतों में रोज़ा टूट जायेगा और कफ़्फ़ारा ज़रूरी होगा। अगर ये काम औरत की रज़ामन्दी से हुआ तो उस पर भी कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा और अगर उसकी रज़ामन्दी नहीं थी, पति ने ये काम ज़बरदस्ती से किया तो औरत पर केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी, अगर शुरूआत में इसे मजबूर किय गया हो और बाद में उसकी रज़ामन्दी हो गयी हो तब भी उस पर केवल कज़ा ज़रूरी होगी।

जानबूझ कर ऐसी चीज़ खाना जिसको खाने के तौर पर और दवा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोटी, चावल, शरबत वग़ैरह या किसी दवा का इस्तेमाल करना।

इसके उल्टे अगर भूले से यह कर दे तो रोज़ा नहीं टूटेगा और कोई ऐसी चीज़ खाये जिसे खाने या दवा के तौर पर नहीं खाया जाता तो रोज़ा टूट जाएगा लेकिन सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम होगी कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं होगा, जैसे कोई कंकड़ी या लोहे का टुकड़ा खा ले।

इन चीज़ों से कफ़्फ़ारा वाजिब होने का ज़िक्र इशारे के साथ या खुले तौर पर हज़रत अबूहुरैरा रज़ि0 की इस हदीस में आया है। कहते हैं कि हम सब आप स0अ0 के पास बैठे हुए थे कि एक बद्दू ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तबाह हो गया। आप स0अ0 ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने रोज़े की हालत में पत्नी से संबंध स्थापित कर लिया, आप स0अ0 ने पूछा, क्या आज़ाद करने के लिये तुम्हारे पास ग़ुलाम है? उसने कहा, नहीं; आप स0अ0 ने फ़रमाया, तो क्या दो महीने लगातार रोज़ा रखते हो?उसने कहा, नहीं; आप स0अ0 ने फ़रमाया इतना माल है कि साठ ग़रीबों को खिला सकते हो? उसने कहा, नहीं। (बुख़ारी 1936– मुस्लिम 2595)

इससे पता चला कि संबंध स्थापित कर लेने से क़ज़ा व कफ़्फ़ारा दोनों ज़रूरी होंगे और इस बात की ओर इशारा भी मिला कि चूंकि खाना–पीना भी इसी दर्जे (श्रेणी) में है अतः इसका भी यही आदेश होगा। साथ ही कफ़्फ़ारे का तरीक़ा भी मालूम हुआ कि पहले नम्बर पर ग़ुलाम आज़ाद करना है, न कर सके जैसा कि वर्तमान समय में ग़ुलामी का दौर ख़त्म हो जाने के कारण किसी के लिये भी ये शक्ल सम्भव नहीं, तो दो महीने लगातार रोज़े रखे, अगर इन दो महीनों के बीच रमज़ान आ गया तो या अय्याम तश्रीक () आ गये तो क्रम टूट जायेगा और शुरूआत से रोज़े रखने पड़ेंगे। यही हुक्म उस वक़्त भी होगा जब बीमार हो जाये या औरत निफ़ास (प्रस्व रक्त) की हालत में हो जाये, क्रम उससे भी टूट जायेगा। यद्यपि अगर बीच में औरत को हैज़ (माहवारी) आ जाये तो वो रोज़े रखना बन्द कर दे, फिर जब हैज़ रुक जाये तो जितने रोज़े बाक़ी रह गये थे सिर्फ़ वही रख ले फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है।

अगर किसी को खाने पर जान व माल की धमकी देकर मजबूर किया गया, और उसने ख़ौफ़ (भय) से खा लिया तो रोज़ा टूट जायेगा लेकिन सिर्फ़ क़ज़ा ज़रूरी होगी। यही हुक्म उस समय होगा जब ग़लती से कुछ खा–पी ले, यानि रोज़ा याद था, खाने–पीने का इरादा नहीं था लेकिन खाने–पीने की चीज़ हलक़ से उतर गयी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जायेगा और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी।

अगर कोई ऐसी चीज़ खाई या पी जिसको बतौर दवा या ग़िज़ा नहीं खाया–पिया जाता है जैसे कन्करी वग़ैरह।

दांतों में कोई चीज़ अटकी हुई थी, अगर वो चने के बराबर या उससे बड़ी थी तो उसके निगलने से रोज़ा टूट जायेगा और क़ज़ा होगी और अगर चने से छोटी थी तो रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन ये उस वक़्त होगा जब मुंह से न निकाला हो अगर निकाल कर खाये तो चीज़ छोटी हो या बड़ी रोज़ा टूट जायेगा।

अगर हक़्ना (पचना) लगाया या नाक के अन्दरूनी हिस्से में दवा डाली या कान में तेल या कोई दवा डाली या औरत ने अपनी शर्मगाह में दवा डाली तो रोज़ा टूट जायेगा और केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी लेकिन अगर

आंख में दवा डाली या सुरमा लगाया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, इसी तरह अगर कान में पानी डाला तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा।

अगर अगरबत्ती या लोबान सुलगाई फिर उसको सूंघा और धुआं अन्दर चला गया तो रोज़ा टूट जायेगा। इसी तरह सिगरेट, बीड़ी इत्यादि से रोज़ा टूट जायेगा।

क़ै (उल्टी) के बारे में लोगों में आम तौर से ये ग़लत फ़हमी पायी जाती है कि चाहे जिस तरह की भी क़ै हो रोज़ा टूट जायेगा, इसलिये क़ै के सिलसिले में आप स0अ0 ने इरशाद फ़रमायाः

जिसको रोज़े की हालत में ख़ुद से क़ै हो जाये उस पर क़ज़ा नहीं है और जो जानबूझ कर क़ै करे उस क़ज़ा ज़रूरी है। (तिरमिज़ी)

इस हदीस के आधार पर फ़ुक़्हा (धार्मिक विद्वानों) ने फ़रमायाः क़ै कि कई सूरतें हो सकती हैं लेकिन रोज़ा केवल दो सूरतों में टूटता है, एक ये कि मुंह भर के हो और रोज़ेदार इसको निगल ले, चाहे पूरी क़ै या चने के बराबर या उससे ज़्यादा को निगले। दूसरे ये कि जानबूझ कर क़ै करे और मुंह भर के क़ै हो, बक़िया किसी और तरह की क़ै से रोज़ा नहीं टूटता है।

पान, तम्बाकू और सिगरेट–बीड़ी का हुक्म

इसी हुक्म में पान तम्बाकू और सिगरेट इत्यादि भी हैं। पान तम्बाकू की पीक अगर कोई निगल लेता है तो बिल्कुल साफ़ बात है कि उसने एक चीज़ हलक़ से नीचे उतार ली। अतः इससे रोज़े के चले जाने में कोई शक की बात ही नहीं है लेकिन कुछ लोग पीक निगलते नहीं है सिर्फ़ पान व तम्बाकू चबाकर उसे थूक देते हैं। इसलिये कुछ लोगों को शक होता है कि उससे शायद रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि फ़ुक़्हा किराम ने फ़रमाया है कि किसी चीज़ के चबाने से रोज़ा नहीं टूटता और इस शक्ल में सिर्फ़ चीज़ को चबाया गया खाया नहीं गया लेकिन ये शक ठीक नहीं है इसलिये कि खाने–पीने को रोज़ा तोड़ने वाला बताया गया है और उन चीज़ों के चबाने को भी खाना कहते हैं फिर कुछ पान या उसका पीक तो बहरहाल हलक़ के नीचे उतर जाता है साथ ही इसके आदी लोगों को इसमें ख़ास लज़्ज़त (विशेष मज़ा) मिलती है अतः न केवल यह कि उनसे रोज़ा टूट जायेगा। बल्कि अगर उन चीज़ों को जानबूझ कर इस्तेमाल किया गया तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम होगा।

इसी हुक्म में गुल से दांत मांजना भी है। इसलिये कि इसमें भी ख़ास लज़्ज़त मिलती है और कुछ हिस्सा के अन्दर जाने का बहुत हद तक संभावना रहती है।

जहां तक बीड़ी–सिगरेट इत्यादि का संबंध है तो उसमें जानबूझ कर धुआं अन्दर लिया जाता है और जानबूझ कर धुआं अन्दर लेने से रोज़ा टूट जाता है। अतः इन सारी चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है।

मन्जन और टूथपेस्ट का हुक्म

आप स0अ0 ने मिस्वाक की बड़ी ताकीद फ़रमायी (ज़ोर दिया) है। इस एतबार से फ़ुक़्हा ने रमज़ान में भी मिस्वाक करने की इजाज़त दी है चाहे मिस्वाक की लकड़ी सूखी हो या गीली लेकिन अगर मिस्वाक की तरी उसकी हलक़ के नीचे उतर जाये तो रोज़ा टूट जाता है लिहाज़ा रोज़े की हालत में मिस्वाक करते हुए इसका ख़्याल रखना चाहिये कि मिस्वाक की तरी या लकड़ी का कोई हिस्सा हलक़ से नीचे न उतरने पाये।

जहां तक मन्जन व टूथपेस्ट इत्यादि का संबंध है तो उनका हुक्म मिस्वाक के हुक्म से अलग है इसलिये कि इनमें ज़ायक़ा बहुत बढ़ा हुआ होता है। अतः जिस तरह फ़ुक़्हा (धर्मज्ञाताओं) ने फ़रमाया कि किसी ज़रूरत के बग़ैर किसी चीज़ का चबाना मकरूह है। उसी तरह इन सब चीज़ों का भी हुक्म होगा। यद्यपि किसी ख़ास ग़रज़ से अगर उन चीज़ों से दांत साफ़ करे तो इन्शाअल्लाह कराहत नहीं होगी।

आक्सीजन का हुक्म

दमे के मरीज़ को दौरा पड़ने के वक़्त आक्सीजन दी जाती है। रोज़े की हालत में इस तरह आक्सीजन लेने का क्या हुक्म होगा? फ़िक़्ही जुज़ () को सामने रखा जाये तो ख़्याल होता है कि अगर होता है कि अगर आक्सीजन के साथ कोई दवा न हो तो रोज़ा नहीं टूटना चाहिये क्योंकि ये सांस लेना है और सांस लेने के ज़रिये हवा लेने से रोज़ा नहीं टूटता है और न उसे खाने–पीने में गिना जाता है। अगर इसके साथ दवा के कण भी हों तो फिर उससे रोज़ा टूट जायेगा। (जदीद फ़िक़्ही मसले : 188/1)

जहां तक दमे के मरीज़ के लिये इन्हेलर के प्रयोग का संबंध है तो चूंकि इसमें दवा मिली हुई होती है लिहाज़ा इससे रोज़ा टूट जायेगा।

इन्जेक्शन और ड्रिप लगवाना

उलमा की सहमति इसी पर है कि इन्जेक्शन चाहे किसी भी प्रकार का हो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा चाहे रग में लगाया जाये या गोश्त में। यही हुक्म ड्रिप लगवाने का भी है, लेकिन बग़ैर किसी ग़रज़ के बेहतर यही है कि दिन में न लगवाये, ज़रूरत हो तो दिन में भी लगवा सकता है, लेकिन सिर्फ़ इस मक़सद से ड्रिप लगवाना कि बदन में ताक़त आ जाये और प्यास में कमी हो जाये मकरूह है।

ज़बान के नीचे दवा रखना

फ़ुक़्हा ने अनावश्यक किसी चीज़ को मुंह में रखने और चखने को मकरूह घोषित दिया है, यद्यपि यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी कारण से ऐसा करे तो कराहत नहीं होगी। कारण की मिसाल में फ़ुक़्हा ने लिखा है कि शौहर अगर बदअख़लाक (दुर्व्यवहरी) और सख़्त मिज़ाज वाला हो तो उसकी बीवी के लिये नमक इत्यादि का पता लगाने के लिये चखना जायज़ होगा। लेकिन साथ ही ये साफ़ है कि अगर कोई ऐसी चीज़ मुंह में रखी या चबाई जिसका हलक़ के नीचे उतर जाना विश्वस्नीय है तो रोज़ा टूट जायेगा। इसकी मिसाल में फ़ुक़्हा ने कुछ गोंदो का नाम लिया है। शायद इसी वजह से हमारे उलमा ने पान तम्बाकू इत्यादि के मुंह में रखने को रोज़ा तोड़ने वाला बताया है। इसलिये कि इसका असर साफ़ तौर पर हलक़ के नीचे पहुंच जाते हैं और तम्बाकू की तलब पूरी हो जाती है।

इस व्याख्या के बाद हम आसानी से फ़ैसला कर सकते हैं कि "इन्जाइना" (दिल का रोग) के मरीज़ों के लिये इस ज़रूरत से कहीं बढ़कर है जिसके तहत बीवी को नमक चखने की छूट दी गयी है और सवाल केवल ये रह जाता है कि ये दवा हलक़ के नीचे तो नहीं उतरती?अगर एहतियात के बावजूद दवा के ज़र्रात ख़ास गोंद की तरह हलक़ के नीचे उतर जाते हों तो उसके मुंह में रखने से रोज़ा टूट जायेगा और ज़बान के नीचे रखने के बाद तबियत बेहतर हो जाने से लगता है ज़ाहिरी तौर पर यही बात है। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि ऐसा नहीं है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जहां तक हो सके रोज़ेदार इस गोली का इस्तेमाल न करे लेकिन इसके इस्तेमाल से रोज़ा उसी वक़्त टूटेगा जब दवा मिला हुआ लुआब (एक प्रकार का थूक) हलक़ के नीचे उतर जाये। सिर्फ़ जबान के नीचे गोली रखना रोज़ा टूटने की वजह नहीं होगी।

इन्हेलर का इस्तमाल

जिन लोगों को दमे की शिकायत होती है उनको इन्हेलर के ज़रिये दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके ज़रिये पाउडर का बहुत छोटा कण फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इलाज के इस तरीक़े के ज़रिये दवा के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जायेगा। इसलिये फ़िक़ के नज़रिये से साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि मनाफ़िज़–ए–अस्लिया (मुंह, दिमाग, नाक, कान, अगली–पिछली शर्मगाहें) से जब किसी चीज़ को दाख़िल किया जा रहा हो तो केवल दाख़िले से रोज़ा टूट जाता है और इन्हेलर के इस्तेमाल में बहरहाल दख़ल होता है चाहे दवा कम ही क्यों न हो।

भाप की शक्ल में दवा का इस्तेमाल

निमोनिय और कई दूसरी बीमारियों में भाप के ज़रिये भी दवा इस्तेमाल की जाती है। ये इस्तेमाल कभी दवा को पानी में डालकर और पानी को खौलाकर उसकी भाप मुंह और नाक से लेकर किया जाता है और कभी ये काम कुछ यन्त्रों के द्वारा किया जाता है। बहरहाल भाप चाहे किसी भी यन्त्र की मदद से ली जाये या सादा तरीक़े से, दोनों हालतों में रोज़ा टूट जायेगा, इसके लिये फ़ुक़्हा ने साफ़ किया है कि जानबूझ कर धुआं हलक़ के नीचे उतारने से रोज़ा टूट जाता है और ये बात इसमें पूरी तरह से पायी जाती है।

बवासीरी मस्सों पर मरहम लगाने का आदेश

अगर पीछे के रास्ते से किसी दवा का प्रयोग किया जाए और दवा हुक़्ना (पिछली शर्मगाह का भीतरी भाग) लगाने के स्थान तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। इसलिए फुकहा ने इसको भी हुक़्ना लगाने के स्थान में सम्मिलित किया हैं जबकि फुकहा ने स्पष्ट किया है कि यदि दवा हुक़्ना लगाने के स्थान तक न पहुंचे तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

.....(शेष पेज 25 पर)

रमज़ानुल मुबारक और स्वयं की पड़ताल

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

रमज़ानुल मुबारक का महीना आनेवाला है। यह वह महीना है जिसमें कुरआन मजीद लौह–ए–महफ़ूज़ से दुनिया के आसमान पर उतारा गया और फिर धीरे–धीरे तेईस साल की मुद्दत में रसूलुल्लाह स0अ0 पर नाज़िल (अवतरित) हुआ और रसूलुल्लाह स0अ0 द्वारा मानव संसार को मार्गदर्शन की वह स्थायी किताब मिली जिसका हर शब्द सत्य एवं प्रकाशित है। यह अल्लाह का इनसानो पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने केवल किताब ही नहीं दी बल्कि साहब–ए–किबात (जिस पर किताब अवतरित हुई) के रूप में अपने ऐसे प्रिय बन्दे और रसूल को भेजा जो पूरी मानवता के लिये सम्पूर्णतयः कृपा (रहमत) है। जिसकी ज़ात ख़ल्क़–ए–अज़ीम (सर्वश्रेष्ठ प्राणी), सम्पूर्ण कृपालु होना जिसकी विशेषता, जो स्वयं में कुरआन मजीद की व्याख्या। यह वह ज़ात थी जिसके द्वारा ज़मीन को भी आसमान पर गर्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिसके द्वारा अल्लाह की हिदायत का स्थायी तोहफ़ा मिला जो ज़मीन को आसमान से जोड़ने वाला है और ज़मीन अपनी हज़ार पस्तियों के बावजूद आसमान से बातें करती हैं।

अल्लाह का यह कलाम (वाणी) रमज़ान से विशेष संबंध रखने वाला कलाम है। यही कारण है कि अल्लाह के रसूल स0अ0 रमज़ान में कुरआन मजीद का दौर हज़रत ज़िब्राईल अलै0 के साथ फ़रमाते। यह तरावीह का सिलसिला वास्तव में इसी की यादगार है। और यह दौर शब्दों का भी होता था और अर्थ का भी। रमज़ान का महीना आता तो रसूलुल्लाह स0अ0 इसका ऐसा एहतिमाम () करते जैसे कि बहुत ख़ास और सम्मानित मेहमान का स्वागत होता है। दो महीने पहले रजब के महीने में रसूलुल्लाह स0अ0 का यह दुआ पढ़ना साबित है कि: "ऐ अल्लाह! रजब व शाबान में बरकत अता फ़रमा और रमज़ान तक पहुंचा दे।" फिर जब शाबान का महीना शुरू होता तो आप स0अ0 रमज़ान के स्वागत में अधिकता से रोज़े रखते थे फिर जब शाबान की आख़िरी तारीखें होती तो आप स0अ0 ख़िताब करते:

"हज़रत सलमान रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह स0अ0 ने शाबान की आख़िरी तारीख़ में हम लोगो को बयान फ़रमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है, जो बहुत ही मुबारक महीना है, उसमें एक रात है (शब–ए–क़द्र) जो हज़ार महीनों से बढ़कर है। अल्लाह तआला ने उसके रोज़े को फ़र्ज़ फ़रमाया और उस रात के क़याम (यानि तरावीह) को सवाब की चीज़ बनाया है। जो व्यक्ति किसी नेकी के साथ इस महीने में अल्लाक का कुब्र (निकटता) प्राप्त करेगा, ऐसा है जैसा कि ग़ैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, और जो शख़्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे, वह ऐसा है जैसा कि ग़ैर रमज़ान में सत्तर फ़र्ज़ अदा करे। यह महीना सब्र का है, और सब्र का बदला जन्नत है। और यह महीना लोगों के साथ ग़मख़्वारी करने का है, इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, जो शख़्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ़्तार कराए उसके लिये गुनाहों के माफ़ होने और आग से नजात होने का कारण होगा। और रोज़ेदार के सवाब की तरह उसको सवाब होगा, सबाहा रज़ि0 ने पूछा कि या रसूलुल्लाह स0अ0! हममें से हर व्यक्ति तो इतनी क्षमता नहीं रखता कि रोज़ादार को इफ़्तार कराये तो आप स0अ0 ने फ़रमाया कि (पेट भर खिलाने पर पर मौक़ूफ़ नहीं) यह सवाब तो अल्लाह तआला एक खजूर से कोई इफ़्तार करा दे या एक घूंट पानी पिला दे या एक घूंट लस्सी पिला दे और इस पर भी मरहमत फ़रमा देते हैं।

यह ऐसा महीना है कि उसका पहला हिस्सा अल्लाह की रहमत है, बीच का हिस्सा मग़फ़िरत (मोक्ष) है और आख़िरी हिस्सा आग से आज़ादी है, जो व्यक्ति इस महीने में अपने गुलाम व सेवक के बोझ को हल्का कर दे अल्लाह तआला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाते हैं और आग से आज़ादी फ़रमाते हैं। और चार चीज़ों की इसमें कसरत (अधिकता) रखा करो जिनमें से दो चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिये और दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें छुटकारा नहीं, पहली दो चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वह कलिमा तैय्यबा है और दूसरी दो चीज़ें यह हैं कि जन्नत की तलब करो और ..... (शेष पेज 12 पर)

तक़वा
रमज़ान का असल तोहफ़ा

मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी

रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी रहमतों, बरकतों और सआदतों के साथ आने वाला है। इस महीने में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार इस महीने की नेकियों को समेटना है। अल्लाह की नेमतों और नेकियों को हासिल करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनका बचाव किया जाए। बचाव का अर्थ यह है कि रमज़ानुल मुबारक में भलाई को कुबूल करने और अल्लाह तआला के आदेशों को पूरा करने का जो अवसर प्राप्त होता है, वह दूसरे दिनों में भी बाक़ी रहे। इसी को कुरआन मजीद ने तक़्वे (निग्रह व संयम) का नाम दिया है।

"ऐ वे लोगो जो ईमान ला चुके हो! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गये हैं, जैसा कि तुमसे पहले लोगो पर किये गये थे, ताकि तुम तक़्वा अपनाओ।" (सूरह बक़राः 178)

तक़्वा क्या है?अल्लाह की नाफ़रमानी (अवज्ञा) से अपनेआप को बचाना। यह नाफ़रमानी दो तरीक़े पर होती है, एक अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करके यानि उसे तोड़कर, दूसरे बन्दों पर अत्याचार करके और इस नाफ़रमानी और ज़ुल्म (अत्याचार) व अन्याय के कारण दो चीज़ें होती हैं। अच्छे से अच्छे खाद्य पदार्थ की इच्छा व शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति की मांग। रोज़ा उन दोनों इच्छाओं पर रोक लगाता है। सुबह–ए–सादिक़ (प्रातः काल) से लेकर सूरज डूबने तक रोज़ेदार हलाल चीज़े भी नहीं खा सकता और उस पूरे समय वह अपनी बीवी के साथ बिस्तर पर भी नहीं जा सकता। हालांकि यह बातें आम हालात में जायज़ हैं फिर यदि कोई व्यक्ति एक महीने तक स्वयं को जायज़ (वैद्य) इच्छाओं की पूर्ति से भी रोक ले तो बाक़ी ग्यारह महीने में कम से कम वह अपने आप को हराम से तो बचा सकेगा। यदि 30 दिन रोज़े रखने के बावजूद एक व्यक्ति के अन्दर यह स्थिति पैदा नहीं होती तो यह उस बात की निशानी है कि उसने यह कर्तव्य सही भाव से पूरा नहीं किया।

आइये! हम अल्लाह तआला से वचन ले कि साधारणतयः हमसे जो गुनाह होते हैं और ख़ुदा के बन्दों के साथ जो अन्याय व अत्याचार हम करते हैं, कम से कम उनसे अपने आप को बचाएंगे और अपने जीवन में एक ऐसी क्रान्ति लाएंगे जो एक नेक क्रान्ति होगी, जिसमें गुनाहों से नफ़रत होगी, जिसमें मनमाने रूप से इच्छापूर्ति करने से आज़ादी होगी, जिसमें चरित्र व व्यवहार की पवित्रता होगी और जिसमें विचारों की सलामती () होगी।

रमज़ानुल मुबारक आता है और मस्जिदें तंग पड़ने लगती हैं। निचली और ऊपरी मंज़िल भरकर छतों पर व सड़कों पर नमाज़ी होते हैं। नमाज़ियों की संख्या को देखकर हर नमाज़ पर जुमे की नमाज़ होने का भ्रम होता है। लेकिन इधर रमज़ान गुज़रा और उधर मस्जिदें वीरान हुईं। अब एक–दो सफ़ें (पंक्तियां) भी मुश्किल से नज़र आती हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक में अपने मालिक व ख़ालिक की ज़ात का जो इस्तहज़ार () था और उसकी रज़ा पाने का जो जज़्बा काम कर रहा था वह समाप्त हो चुका है। मुहब्बत की आग बुझ गयी है। इसलिए इस बात का संकल्प कीजिए कि आज भी आप उससे अलग नहीं हो सकते और जिस ख़ुदा के खौफ़ में कल आपने सर झुकाया था, आज भी उसकी ज़ात पूरे जलाल व कुदरत (सामर्थ्य) के साथ मौजूद है।

दूसरा जो गुनाह समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वह है पैसा कमाने में हराम व हलाल की लापरवाही का। हालांकि हराम तरीक़े से मिलने वाली चीज़ों को खाना या इस्तेमाल करना इबादतों के असर को ख़त्म कर देता है और इनसान की दुआएं भी उसके नतीजे में रद्द कर दी जाती हैं। अल्लाह तआला ने सूद (ब्याज) को हराम कर दिया है। रसूलुल्लाह स0अ0 का कथन हैः "सूद के गुनाह के सत्तर दर्जे हैं और उनमें सबसे कमतर दर्जा यह है कि एक व्यक्ति अपनी माँ के साथ बुराई करे।" बैंक में जो रकम डिपाज़िट की जाती है और जमा की हुई रक़म से ज़्यादा रक़म बैंक अदा करता है, वह भी ब्याज ही है और कितने ऐसे लोग हैं जो इस ब्याज को अपनी ख़ुराक़ बना रहे हैं और कितने शर्म व अफ़सोस की बात है जब पुलिस फ़ाइनेन्सरों पर धावा बोलती है तो उसमें ज़्यादातर मुसलमान ही होते हैं। जो ग़रीब लोगो को मामूली क़र्ज़ देकर बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं। यह ब्याजू कर्ज़ बहुत से लोगो की आत्महत्या और और परिवार के मुखिया की आत्महत्या के कारण

पूरे परिवार की तबाही का कारण बनते हैं।

जुए के अड्डों में भी मुसलमानों की बड़ी संख्या रहती है। मुस्लिम मुहल्लों में शतरंज और ताश की लानत आम है। बहुत से मुसलमान मज़दूर बड़े ईनाम की लालच में लाटरी पर लाटरी ख़रीदते जाते हैं और इस तरह उनकी गाढ़ी कमाई जुए की नज़र होती जाती है। कारोबार में धोखा देना और झूठ बोलना आम बात हो चुकी है। यह सब कमाने और पैसे हासिल करने के ऐसे तरीक़े हैं जिनसे अल्लाह तआला नाराज़ होता है। ब्याज से, जुए से और कारोबार में बेईमानी और धोखाधड़ी से बचने का इरादा कर लीजिए, इससे आपकी आख़िरत भी संवर जाएगी और दुनिया में भी आप सम्मानित और प्रसिद्ध होंगे।

अल्लाह तआला ने फ़िज़ूल खर्ची से मना किया है। रसूलुल्लाह स0अ0 ने नहाने और वुज़ू करने में भी आवश्यकता से अधिक पानी बहाने से मना किया है। लेकिन इस समय फ़िज़ूल खर्ची हमारे समाज का कैंसर बन चुकी है। हर चीज़ में फ़िज़ूल ख़र्ची का रूझान आम है। मकानों की साज सज्जा व सजावट पर इतना ख़र्च किया जाता है कि उसमें कई मकान और बन जाएं। फ़र्नीचर ख़रीदने और कुछ ही समय बाद फ़र्नीचर बदलने पर बहुत ज़्यादा पैसे ख़र्च किये जाते हैं। मामूली दावतों में भी अत्यधिक ख़र्च किया जाता है। तरह–तरह के सालन व मीठे के अतिरिक्त अधिक मात्रा में भोजन पकाया जाता है। यहां तक कि बहुत सा खाना फेंक दिया जाता है। शादी की दावतों में जो फ़िज़ूल ख़र्चियां होती हैं वे सबसे बढ़कर हैं। हालांकि हमारे समाज में अल्लाह के कितने ही मोहताज बन्दे हैं, जिनके पास सर छिपाने के लिये झोपड़ी तक नहीं है और जिन्हें खाने के लिये दो रोटी तक नहीं मिलती। क्या क़यामत के दिन हमसे इसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा।

तय कर लीजिए कि हम ऐसे बेजा ख़र्च से बचेंगे और इन पैसों को अच्छे कामों में ख़र्च करेंगे। अगर दीन व क़ौम के लिये ख़र्च करने की तौफ़ीक़ मिल जाए तो क्या कहना! लेकिन अगर दिल इसके लिये तैयार न हो तो कम से कम इसको अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिये ख़र्च कीजिए। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाइये, कारोबार लगाइये, दुकानें खोलिये और कारख़ाने लगाइये ताकि इन पैसों से आपका भविष्य संवर सके। कुछ ग़रीबों के लिये रोज़ी–रोटी की व्यवस्था हो और ज़िल्लत व पस्ती का ताना खाने वाली उम्मत का सर गर्व से उठ सके।

यह कुछ खुली हुई बुराइयां है जो समाज का हिस्सा बन चुकी हैं। तक़वे की कम से कम मांग यह है कि हम अपने समाज को उन गुनाहों से पाक करें। हज़रत अबूदरदा रज़ि0 फ़रमाते थे कि तक़वे का कमाल यह है कि इनसान एक राई के दाने में भी अल्लाह का ख़ौफ़ व डर महसूस करे और बहुत सी हलाल चीज़ो को भी इस डर से छोड़ दे कि कहीं हराम न हों। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह0 कहते थे कि तक़वे वाले को मानो लगाम लगी होती है, इसलिये ऐसा नहीं होता कि उसके दिल में जो आए वह उसे कर डाले।

"अल्लाह तआला ने तक़वा अपनाने वालों के लिये बड़े सवाब का वादा कर रखा है।"

(सूरह आले इमरानः 172)

"सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तक़वा अपनाने वाला अल्लाह तआला को प्यारा होता है।"

(सूरह तौबाः 4)

"अल्लाह की निगाह में सबसे सम्मान वाला और शरीफ़ वही है जो सबसे ज़्यादा तक़वा अपनाने वाला हो।" (सूरह हुजूरातः 13) रसूलुल्लाह स0अ0 पर अल्लाह की ख़शीयत का ऐसा ग़ल्बा होता था कि जब आप स0अ0 दुआएं करते तो सीना मुबारक से चक्की पीसने की सी आवाज़ आती थी। (अबूदाऊदः 904)

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए याद रहे कि रमज़ानुल मुबारक का अस्ल तोहफ़ा "तक़वा" है जो गुनाहों की तरफ़ बढ़ते हुए क़दमों को थाम लेता है। दुनिया एक राहगुज़र बन जाती है। इनसान इस राह का मुसाफ़िर है और इस सफ़र का सबसे अच्छा सामान () तक़वा है। (सूरह बक़राः 197)

हज़रत अनस रज़ि0 की रिवायत है कि एक सज्जन रसूलुल्लाह स0अ0 की सेवा में उपस्थित हुए और कहा कि मैं सफ़र पर जा रहा हूं, मुझे रास्ते के लिये कुछ दे दीजिए, रसूलुल्लाह स0अ0 ने कहा कि अल्लाह तआला तक़वे को तुम्हारे लिये ज़ाद–ए–सफ़र () बना दे।

इसलिये रमज़ान की बेपनाह बरकतों और रहमतों को अपने मुराद के दामन में सुरक्षित की लीजिए और तक़वे को अपना साथी बनाकर ज़िन्दगी का सफ़र तय कीजिए इसलिए कि रास्ता कांटो से भरा है और मंज़िल तक पहुंचना भी ज़रूरी है।

ज़कात
महत्व एवं मसले

ज़कात इस्लाम का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुरआन पाक में जगह–जगह नमाज़ के साथ ज़कात देने पर भी ज़ोर दिया गया है। आप स0अ0 ने इसे इस्लाम के पांच बुनियादी हिस्सों (मूलभूत कर्तव्य) में से एक बताया है।

साहबे निसाब (जिस पर ज़कात देना अनिवार्य हो) होने के बावजूद ज़कात न अदा करने वालों को कुरआन पाक में जो कठोर दण्ड सुनाया गया है उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तआला का कथन है: "जो लोग अपने पास सोना–चांदी एकत्र करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते तो (ऐ नबी स0अ0) आप उनको दर्दनाक अज़ाब (दण्ड) की खुशख़बरी सुना दीजिये, ये दर्दनाक अज़ाब उस दिन होगा जिस दिन उस सोने और चांदी को जहन्नम (नर्क) की आग में तपाया जायेगा, फिर उसके द्वारा उनके माथे, उनके पहलू और उनकी पीठ को दाग़ा जायेगा (और उनसे कहा जायेगा) ये है वो ख़ज़ाना जो तुमने अपने लिये एकत्र किया था, तो आज तुम उस ख़ज़ाने का मज़ा चखो जो तुम अपने लिये एकत्र कर रहे थे।"

अतः हर साहबे निसाब मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि वो पूरा–पूरा हिसाब करके ज़कात अदा करे। बहुत से लोग बिना हिसाब के ही कुछ रक़म या दूसरी चीज़ें ग़रीबों को देकर अपने को ज़िम्मेदारी से बरी समझते हैं। ये तरीक़ा सही नहीं है। पूरा हिसाब लगाकर ज़कात देना ज़रूरी है।

सदक़े से माल बढ़ता है

ज़कात न अदा करने का एक बड़ा बल्कि मूल कारण यह माना जाता है कि इससे माल की एक बड़ी मात्रा हाथ से निकल जायेगी और उसके बदले में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन कुरआन मजीद में इस ख़्याल की काट की गयी है और इस पर पूरी तरह से संतुष्ट किया गया है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से माल घटता नहीं है, बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी होती है।

अल्लाह तआला का इरशाद है:

"अल्लाह तआला सूद को घटाता है और सदक़ात (दान) को बढ़ाता है।" (बक़राः 276)

ज़कात वाजिब (अनिवार्य) होने की शर्तें

ये भी ध्यान रहे कि ज़कात न हर व्यक्ति पर अनिवार्य होती है न हर माल पर बल्कि इसके अनिवार्य होने के लिये उस व्यक्ति का अक़्ल वाला होना और बालिग़ होना, साहबे निसाब होना, माल पर साल का बीतना, उस माल का कर्ज़ से ख़ाली होना, इसी तरह उसका हाजते अस्लिया (आवश्यक आवश्यकताओं) से ख़ाली होना शर्त है। एक भी शर्त न पायी जाये तो ज़कात अनिवार्य नहीं होगी।

ज़कात के माल

जिन चीज़ों पर ज़कात वाजिब (अनिवार्य) है वे मूल रूप से चार हैं।

1. जनवर
2. सेना
3. चांदी (नक़दी भी सोना और चांदी के हुक्म में आती है)
4. व्यापारिक माल

सोने–चांदी का निसाब (मात्रा)

चांदी की मात्रा दो सौ दिरहम जबकि सोने की मात्रा बीस मिसक़ाल है। हिन्दुस्तान के उलमा की खोज चांदी के दो सौ दिरहम यानि साढ़े बावन तोला (612.360 ग्राम) और सोने के बीस मिसक़ाल यानि साढ़े सात तोला (87.480 ग्राम) के बराबर होते हैं। जहां तक नक़द और व्यापारिक माल का संबंध है तो उनकी मिल्कियत का अनुमान भी चांदी के की मात्रा से किया जायेगा यानि अगर किसी के पास चांदी की मात्रा के बराबर नक़द रक़म या व्यापारिक माल है तो वो शरीअत के अनुसार साहबे निसाब (जिस पर

ज़कात अनिवार्य हो) है।

फिर ये भी ध्यान रहे कि सोना–चांदी चाहे इस्तेमाल हो रहे ज़ेवर की शक्ल में हो या न इस्तेमाल हो रहे ज़ेवर की शक्ल में हो, चाहे सिक्कों या ज़ुरूफ़ वग़ैरह की शक्ल में हो, अगर वह निसाब (मात्रा) के बराबर है और उस पर साल गुज़र जाता है तो उसकी ज़कात बहरहाल वाजिब (अनिवार्य) हो जायेगी। यही आदेश नक़द रक़म का भी है। लेकिन बक़िया दूसरे माल यानि उरूज़ में ये भी शर्त है कि वो व्यापार की नियत से हों वरना उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी।

हौलान–ए–हौल का मतलब

किसी के पास निसाब के बराबर (मात्रानुसार) ज़कात का माल है तो अगर साल के बीच में उस माल में बढ़ोत्तरी होती है तो उस बढ़े हुए माल का हिसाब पहले से मौजूद माल की तारीख़ से किया जायेगा। जब बक़िया माल पर साल गुज़र जाये तो उसकी ज़कात के साथ उस ज़ायद माल की भी ज़कात निकालना ज़रूरी होगा ये नहीं कि हर बढ़ोत्तरी के लिये अलग से साल का हिसाब किया जाये और यह कि साल गुज़रने में अंग्रेज़ी महीनों के बजाये चाँद के महीनों का हिसाब किया जायेगा।

किस दिन की मालियत का एतबार होगा

व्यापारिक माल के बारे में आ चुका है कि उन पर ज़कात अनिवार्य है। जैसे अगर किसी की दुकान या कोई कारोबार है तो साल गुज़रने के बाद उसके पास जो कुछ नक़द रक़म या सामान है उसकी ज़कात उस पर फ़र्ज़ है और सामान का मूल्य निकालते समय उनके उसी दिन के मूल्य का एतबार होगा जिस दिन वो उनकी ज़कात अदा कर रहा है।

हाजत–ए–अस्लिया (ज़रूरी ज़रूरतें) का मतलब

जो चीज़ अस्ल ज़रूरतों के लिये हो उसमें ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। अस्ल ज़रूरत की मिसाल में फ़ुक़्हा (धार्मिक विद्वान) ने रहने के मकान, पहनने के कपड़े, सवारी के जानवर और गाड़ी, खेती या फ़ैक्ट्री के यन्त्र और घर के फ़र्नीचर इत्यादि चाहे वे चीज़ें कई हों और उनको किराये पर उठाता हो तब भी उन पर ज़कात वाजिब नहीं होती है।

ज़कात की मात्रा

ज़कात की वाजिब मात्रा किसी भी माल में उसका चालीसवा हिस्सा या ढ़ाई प्रतिशत तय की गयी है।

शेयर पर ज़कात

ज़कात हर प्रकार के व्यापारिक माल पर अनिवार्य है चाहे वो जानवरों का व्यापार हो या गाड़ियों का व्यापार हो या ज़मीन का और क्योंकि शेयर भी व्यापारिक माल के अन्तर्गत आते हैं अतः उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। अगर किसी ने शेयर इस उद्देश्य से ख़रीदे हैं कि उन पर वार्षिक लाभ लेगा, उनको बेचेगा नहीं, तो उसको अपनी कम्पनी से ख़बर करनी चाहिये कि उसका कितना सामान अचल है जैसे बिल्डिंग और मशीनरी इत्यादि की शक्ल और कितना माल चल है जैसे नक़द, कच्चा माल तैयार माल इत्यादि। जितनी सम्पत्ति अचल है उन पर ज़कात नहीं होगी और जितनी सम्पत्ति चल है उन पर ज़कात अनिवार्य होगी। अगर कम्पनी के माल का विवरण न मिल सके तो इस हालत में एहतियात के तौर पर पूरी ज़कात अदा कर दी जाये और अगर शेयर इस उद्देश्य से ख़रीदे हैं कि जब बाज़ार में उनकी क़ीमत बढ़ जायेगी तो उनको बेच करके लाभ कमायेगें तो पूरे शेयर की पूरी बाज़ारी क़ीमत पर ज़कात अनिवार्य होगी। जैसे आपने पचास रूपये के हिसाब से शेयर ख़रीदे और मक़सद ये था कि जब उनकी कीमत बढ़ जायेगी तो उनको बेचकर मुनाफ़ा कमाएंगे। उसके बाद जिस दिन आपने ज़कात का हिसाब निकाला उस दिन शेयर की क़ीमत साठ रूपये हो गयी तो अब साठ रूपये के हिसाब से उन शेयर की मालियत निकाली जायेगी और उस पर ढ़ाई प्रतिशत के हिसाब से ज़कात अदा करनी होगी।

प्राविडेन्ड फ़न्ड पर ज़कात

ज़कात फ़र्ज़ होने की एक अहम शक्ल ये भी है कि उस पर इनसान का सम्पूर्ण नियन्त्रण भी हो। इसी कारण से फ़ुक़्हा (धर्मज्ञाताओं) ने कहा है कि अगर किसी को कर्ज़ दिया और बाद में क़र्ज़ लेने वाला उससे इनकार कर रहा है बज़ाहिर उसका मिलना

मुश्किल है या किसी जगह डालकर भूल गया या किसी दरिया इत्यादि में गिर गया तो उन रूपयों की ज़कात वाजिब नहीं होगी। फिर जब अप्रत्याशित रूप से यह माल मिल जाये तो गुज़रे हुए सालों की ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी। ये रक़म जिस वक़्त मिली है उस वक़्त से उसका हिसाब लगाया जायेगा। (हिन्दिया 1/187)

जहां तक प्राविडेन्ड फ़न्ड का संबंध है तो इसमें एक हिस्सा वो हेाता है जो शासन उसमें मिलाकर देता है। जहां तक इस दूसरी बढ़ी हुई राशि का संबंध है तो चाहे उसे ईनाम कहा जाये या सेवा का मेहनताना जिसका अभी मालिक नहीं हुआ है। अतः उस पर गुज़रे हुए दिनों की ज़कात वाजिब होने का कोई करण नहीं है। चर्चा योग्य फ़न्ड का वो हिस्सा है जो सेवा के दौरान वेतन से कटकर जमा होता है इसका मामला ये है कि कर्मचारी इसका अधिकारी है लेकिन उस पर अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है अतः इस रक़म पर भी गुज़रे हुए दिनों की ज़कात वाजिब नहीं होगी। उलमा–ए–मुहक़्क़िीन का रूझान इसी तरफ़ है।

क़र्ज़ अदा करना

अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा का मालिक है लेनिक वो साथ ही कर्ज़दार भी है तो कर्ज़ के बराबर माल पर ज़कात अनिवार्य नहीं होगी। अगर क़र्ज़ के बराबर अदा करने के बाद भी निसाब के बराबर माल बच रहा है तो उस पर उसी के बराबर ज़कात अनिवार्य हो जायेगी।

सोने और चांदी को मिलाना

किसी के पास साढ़े सात तोला (612.480 ग्राम) सोना न हो लेकिन उसके पास कुछ सोना और कुछ चांदी मौजूद हो तो क्या उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जायेगी। इस मसले में दो राय हैं:

1– इमाम शाफ़ई और कई दूसरे लोगों के निकट उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इमाम शाफ़ई ने अपनी किताब अलउम में इस पर बहस की है कि उसके पास न सोने की पर्याप्त मात्र है न चांदी की तो उस पर ज़कात कैसे वाजिब हो सकती है जबकि दोनो अलग–अलग जिंस (धातु) हैं।

2– दूसरी राय हनफ़ी मसलक और कई दूसरे लोगों की है कि अगर दोनों के मिलाने से पर्याप्त मात्रा हो जाये तो ज़कात अनिवार्य हो जायेगी। इस पर बहस बुकैर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ि0 की रिवायत से कि ज़कात निकालने में सहाबा का तरीक़ा चांदी और सोने के मिलाने का था। फिर दोनों क़ीमत के एतबार से एक ही जिंस (धातु) हैं।

बहरहाल अक़्ली दलील दोनों तरफ़ से मज़बूत हैं लेकिन मनकूली दलील में इस एतबार से प्रथम पक्षधर का पक्ष कुछ मज़बूत घोषित किया जाता है कि हज़रत बुकैर की रिवायत हदीस की किताब में नहीं मिलती। फिर इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन की बीच ये मतभेद है कि सोने और चांदी को मिलाने की कैफ़ियत क्या होगी।

इमाम अबू हनीफ़ा के निकट दोनों को मूल्य के अनुसार मिलाया जायेगा। यानि अगर किसी के पास दो तोला सोना और दो तोला चांदी है तो ये देखा जायेगा कि दो तोला सोना अगर बेच दिया जाये तो क्या साढ़े बावन तोला या उससे ज़्यादा चांदी हासिल हो जायेगी। अगर इतनी ज़्यादा चांदी हासिल हो सकती है तो वो साहिबे निसाब माना जायेगा। फ़तवा इमाम साहब के कथन ही पर है जबकि साहिबैन (अर्थात इमाम अबू हनीफ़ा के दो शिष्य इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद) के नज़दीक दोनों को जुज़ (हिस्से) के एतबार से मिलाया जायेगा यानि वज़न के एतबार से अगर आधा निसाब सोने का और आधा चांदी या दो तिहाई साने का और एक तिहाई चांदी का या एक चौथाई सोने का और तीन चौथाई चांदी का पाया जा रहा हो तो ज़कात वाजिब हो जायेगी वरना नहीं।

इमाम साहब के कथन के अनुसार अगर सोने–चांदी की मामूली मात्रा भी किसी के पास हो तो वो साहिबे निसाब बन जायेगा और उसके लिये ज़कात लेना जायज़ नहीं रहेगा। इतनी मामूली मिक़दार बिल्कुल मामूली लोगों के पास भी आम तौर से रहती है। इस परिस्थिति में ये सवाल उठाया जाता है कि

क्या मौजूदा हालात में साहिबैन के कथन को अपनाया जा सकता है। इसलिये कि साहिबैन के कथन पर चला जाये तो इसमे ज़कात देने वाले और लेने वाले दोनों का ख़्याल हो जायेगा और संतुलन बना रहेगा।

लेखक के ख़्याल से ऐसा करने की गुंजाइश है। इसलिये कि इस मसले का संबंध हालात के बदलने से है और इस बात पर सहमति है कि हालात बदल जाये तो आदेश बदल जाता है। फिर ये तो इफ़्ता के हुक्म में भी लिखा हुआ है कि मतभेद अगर साहिबैन और इमाम साहिब के बीच में तो मुफ़्ती उनमें से किसी पर भी फ़तवा दे सकता है। लिहाज़ा सामूहिक शोध के इस दौर में उलमा सहमत हो जायें तो इसकी गुंजाहश होगी। फिर इमाम साहब की एक रिवायत साहिबैन के कथन के मुताबिक़ भी है लिहाज़ा इमाम साहब के इस क़ौल को इस्तहबाब पर महमूल करके ततबीक़ की जा सकती है। मुफ़्ती किफ़ायत उल्ला साहब ने किफ़ायतुल मुफ़्ती में इसी तरह ततबीक़ दी है।

बात का अर्थ यह है कि व्यापारिक माल वाले मसले में मुफ़्ता बिही हुक्म से हटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जबकि दूसरे मसले में अगर उलमा इत्तिफ़ाक़ कर लें तो इसकी गुंजाइश है।

ज़कात के हक़दार

ज़कात की हैसियत चूंकि केवल सामान्य ख़र्च और इनसानी मदद की नहीं है बल्कि ये एक महत्वपूर्ण इस्लामी इबादत और शरई कार्य है इसलिये शरीअत ने इसके ख़र्च निश्चित कर दिये हैं, अल्लाह तआला का इरशाद है:

"ज़कात फ़क़ीरों, ग़रीबों, आमलीन (ज़कात के एकत्रीकरण व बंटवारे के कार्यकर्ता) मुअल्लफ़तुल कुलूब, (इस्लाम कुलूब करने वालों के दिलजोई हेतु ख़र्च) गुलाम, क़र्ज़दार, अल्लाह के रास्तें में (जिहाद करने वाले) और यात्रियों के लिये, ये अल्लाह की तरफ़ से तय हुआ काम है और अल्लाह बड़ा ज्ञानी और हिकमत वाला (तत्वदर्शी) है।"

ज़कात को ख़र्च करने के बारे में कुरआन मजीद की ऊपर वर्णित आयत में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके संबंध में बात यह है कि ज़कात सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जो फ़क़ीर या ग़रीब हों। यानि जिनके पास या तो माल ही न हो या अगर हो तो निसाब तक न पहुंचता हो। यहां तक कि अगर उनके अधिकार में ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा सामान मौजूद है जो साढ़े बावन तोला चांदी की क़ीमत तक पहुंच जाता है तो वो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं है। ज़कात का मुस्तहिक़ वो है जिसके पास साढ़े बावन तोला चांदी की मिल्कियत की रक़म या उतनी मालियत का कोई सामान ज़रूरत से ज़्यादा न हो। इसमें भी शरीअत का हुक्म ये है कि ज़रूरत मन्द को मालिक बना दिया जाये और वो जिस तरह चाहे उसे खर्च करे। इसीलिये बिल्डिंग के निर्माण में ज़कात नहीं लग सकती, न ही किसी संस्था के कर्मचारी की पगार में लग सकती है। इसी तरह कफ़न–दफ़न में ज़कात का पैसा लगाना ठीक नहीं है।

ज़कात अदा करने वाले को चाहिये कि अच्छी तरह पड़ताल करके सही जगह पर लगाने की कोशिश करे। श्रेष्ठ यह है कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों व क़रीबियों में ग़रीब की तलाश करे। रिश्तेदारों में ज़कात अदा करने से डबल सवाब मिलता है। एक ज़कात अदा करने का दूसरे सिलारहमी (रिश्तेदारी निभाना) करने का। यद्यपि दो रिश्ते ऐसे हैं जिनको ज़कात देना ठीक नहीं है। पहला पैदाइशी रिश्ता है जिसके तहत सभी नियम आते हैं। इसीलिए अपने बाप, दादा, नाना, नानी, दादी और उन से ऊपर को ज़कात देना ठीक नहीं है, इसी तरह बेटे, पोते, बेटी, पोती, नवासा, नवासी, और उनसे नीचे वालों पर ज़कात देना ठीक नहीं है। दूसरा निकाह का रिश्ता है इसलिए पति पत्नी को और पत्नी पति को ज़कात नहीं दे सकती है। इन दोनों रिश्तों के अलावा सभी रिश्तेदारों को ज़कात देना जायज़ है। जैसे– भाई, बहन, चचा, फूफी और ख़ाला इत्यादि, लेकिन शर्त यह है कि जिसको ज़कात दी जा रही है वह ज़कात का मुस्तहिक़ हो, यह भी ध्यान रहे कि अपने क़रीबी रिश्तेदारों को यदि यह बताकर ज़कात दी जाए कि यह ज़कात की रक़म है तो हो सकता है कि उन्हें बुरा लगे, इसीलिये शरीअत ने यह

सहूलत दी है कि ज़कात देते समय यह बताना आवश्यक नहीं है कि यह ज़कात है।

मुस्तहिक़ होने के साथ साथ एक ज़रूरी शर्त ये है कि मुस्तहिक़ मुसलमान हो। इसीलिये ग़ैर मुस्लिम मुस्तिहिक़ को ज़कात की राशि देना ठीक नहीं है। आप स0अ0 ने फ़रमाया कि ज़कात मुसलमान मालदारों से ली जायेगी और ग़रीब मुसलमानों पर ख़र्च की जायेगी। (बुख़ारी 1496)

मदरसों में ज़कात ख़र्च करने में दोहरा सवाब मिलेगा। एक ज़कात का दूसरे इल्म को फैलाने और दीन की हिफ़ाज़त का।

इसी तरह क़रीबी रिश्तेदारों में ज़कात अदा करने से डबल सवाब मिलता है। एक ज़कात अदा करने का दूसरे सिला रहमी करने का। जैसे भाई, बहन, चचा, फूफी, मामू, भांजे इत्यादि को ज़कात देना शरीअत के अनुसार ठीक ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ भी है। रसूलुल्लाह स0अ0 ने फ़रमाया:

"मिस्कीन को देने में एक सदक़े का सवाब है और रिश्तेदारों को देने में दो सदक़े का सवाब है, एक सदके का दूसरा सिलारहमी का।"

रमज़ानुल मुबारक में चूंकि हर फ़र्ज़ इबादत का सवाब सत्तर गुना बढ़ जाता है इसलिये रमज़ान में ज़कात देने में इन्शाअल्लाह सत्तर गुना सवाब की उम्मीद है। (लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज़कात रमज़ान में ही निकाल दी जाये और ग़ैर रमज़ान में फ़क़ीरों की ज़रूरतों का ख़्याल न रखा जाये, बल्कि ज़रूरत व मस्लिहत के एतबार से ख़र्च करने का एहतिमाम करना चाहिये)

एक फ़क़ीर को एक साथ इतना माल देना कि वो साहबे निसाब हो जाये बेहतर नहीं है, अलबत्ता अगर वो क़र्ज़दार हो और कर्ज़ की अदायगी के लिये बड़ी रक़म दी तो हर्ज नहीं।

कर्ज़दार व्यक्ति को कर्ज़ से बरी करने से ज़कात अदा न होगी, अलबत्ता यदि फ़क़ीर मक़रूज़ को ज़कात की रक़म दी, फिर उससे अपना क़र्ज़ वसूल कर लिया तो यह ठीक है।

शेषः रोज़े की अनिवार्यताएं एवं मसले

इस व्याख्या से स्पष्ट हो गया है कि कोई दवा या मरहम लगाने से या इसको पानी से तर करके चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटेगा इसलिए कि जानकारों का कहना है कि बवासीरी मस्से हुक़्ना लगाने के स्थान से बहुत नीचे होते हैं।

रोग की पुष्टि के लिए यन्त्रों का प्रयोग

अगर रोग की खोज के लिए पीछे के गुप्तांग में किसी यन्त्र की सहायता ली जाए तो अगर यह यन्त्र सूखे हैं और इनका एक सिरा बाहर है जैसा कि आमतौर पर होता है तो इन यन्त्रों को अन्दर डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन अगर यन्त्र पर कोई तेल या ग्रीस जैसी चीज़ लगाकर इसे अन्दर किया गया है तो रोज़ा टूट जाएगा।

यही हुक्म औरत की अगली शर्मगाह तहक़ीक़ (खोज) के लिये किसी यन्त्र के डालने का भी है।

गर्भ तक यन्त्र का पहुंचाना

गर्भ की सफ़ाई के लिये और फ़मे रहम () को बढ़ाने के लिये जो यन्त्र (Dilators) प्रयोग किये जाते हैं और गर्भ का अन्दरूनी हिस्सा खुरचने का यन्त्र (Curette) यदि उन पर कोई तेल इत्यादि लगाकर उनको प्रविष्ठ कराया जाये तो रोज़ा टूट जाएगा और अगर सूखा डाला जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

लेकिन यदि सूखा डालकर और एक बार बाहर निकालकर दोबारा साफ़ किये बिना उनको फिर डाला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा चाहे दोबारा सूखा हो गीला।

औरत की शर्मगाह में दवा कर रखना

यदि आन्तिरक भाग में कोई दवा रखी जाए या रखी ऊपरी हिस्से में जाए वह अन्दरूनी हिस्से तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, चाहे दवा गीली हो या सूखी।

पेशाब के स्थान तक नली का पहुंचना

यदि मर्द के मुसाना तक नली पहुंचाई जाये तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा चाहे नली सूखी हो या गीली इससे दवा पहुंचाई जाए या नहीं और औरत के मुसाना में नली पहुंचाई जाए तो यदि नली गीली है तो या इससे दवा पहुंचाई गई है तो रोज़ा टूट जाएगा लेकिन अगर नली सूखी हो और इससे दवा भी न पहुंचाई गई हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा

जमाअत व इमामत की फ़ज़ीलत व आदेश

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

हदीसों में पांच वक़्त की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करने की बड़ी फ़ज़ीलत (श्रेष्ठता) अधिकता से बयान किये गये हैं और बिना किसी वजह के जमाअत छोड़ने पर सख़्त वईद () आयी हैं। इसी लिये जमात से पांच वक़्त की नमाज़ पढ़ने को हमारे इमामों ने सुन्नत–ए–मुअक़्कदा एवं वाजिब के क़रीब बताया है। जबकि बहुत से लोगो ने इसे वाजिब या फ़र्ज़ भी कहा है। (शामी)

निम्न में हम कुछ हदीसों का वर्णन कर रहे हैं जिनसे जमाअत की श्रेष्ठता व ताकीद () और जमाअत छोड़ने पर वईद () आती है।

1– हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम स0अ0 ने फ़रमायाः "जमाअत से नमाज़ अकेले नमाज़ पढ़ने से 27 गुना अधिक श्रेष्ठता रखती है।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

2– हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ि0 से रिवायत है फ़रमाते हैंः हमने अपना जायज़ा लिया तो (स्थिति यह पायी कि) नमाज़ से केवल वही मुनाफ़िक़ पीछे रहता था जिसका निफ़ाक़ खुल गया हो या जो मरीज़ हो और मरीज़ दो आदमियों के बीच चलकर आता था...जो व्यक्ति भी वुज़ू करे और फिर अच्छी तरह वुज़ू करके उन मस्जिदों में से किसी एक में आए तो अल्लाह उसके हर एक क़दम के बदले में जिसको वह उठाता है एक नेकी लिख देता है, और एक दर्जा बुलन्द कर देता है, और एक गुनाह माफ़ कर देता है। (मुस्लिम)

3– हज़रत अबूहुरैरा रज़ि0 से रिवायत है, फ़रमाते हैंः नबी करीम स0अ0 ने फ़रमायाः उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, मेरा इरादा हुआ कि मैं लकड़ियां एकत्र करने का आदेश दूं, तो उसकी अज़ान दी जाए फिर मैं किसी व्यक्ति को आदेश दूं और वह लोगों की इमामत करे फिर उन लोगो के पास जाऊं जो नमाज़ में नहीं आते और उनके घर जला दूं। (मुस्लिम)

4– हज़रत अबूदरदा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम स0अ0 से फ़रमायाः जब भी तीन आदमी किसी बस्ती या वीराने में हों और उनमें जमाअत न क़ायम की जाए तो उन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है, लिहाज़ा तुम जमाअत को ज़रूरी समझो, इसलिये कि भेड़िया अकेले दूर चली जाने वाली बकरी को खा जाता है। (अबूदाऊद, नसाई, मुसनद अहमद)

5– हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम स0अ0 ने फ़रमायाः जिसने मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनी और उसे वहां जाने से रोकने वाला कोई कारण न हो, लोगों ने कहाः कैसा कारण?कहाः डर या बीमारी, तो जो नमाज़ उसने अकेले पढ़ी क़ुबूल नहीं की जाएगी। (अबूदाऊद)

इन जैसी हदीसों के बुनियाद पर बहुत से हनफ़ी शेखों ने जमाअत को वाज़िब कहा है। जिन लोगों ने सुन्नत–ए–मुअक़्क़दा कहा है, उन्होंने भी उसे वाजिब के क़रीब क़रार दिया है। (शामी)

ईदैन (ईद व बक़रीद) व जुमा में जमाअत का आदेश जहां तक जुआ और ईदैन का संबंध है तो जमाअत उनमें शर्त है, इस अर्थ में कि जमाअत के बिना नमाज़ सही नहीं होगी। (शामी)

वित्र व नफ़िल में जमाअत का आदेश

रमज़ानुल मुबारक में वित्र की नमाज़ जमाअत से पढ़ना मुस्तहब (सवाब वाला) है और तरावीह की नमाज़ जमाअत से पढ़ना सुन्नत है। अगर पूरे मुहल्ले वाले छोड़ दे तो सुन्नत के छोड़ने वाले और गुनहगार होंगे और यदि कुछ लोग जमाअत से तरावीह छोड़कर घर में बैठेगें और बाक़ी मुहल्ले वाले तरावीह जमाअत से पढ़ें तो छोड़ने वाले केवल फ़ज़ीलत के छोड़ने वाले होंगे।

जहां तक नफ़िल नमाज़ का संबंध है तो उनका जमाअत से पढ़ना यदि तदाई के साथ हो तो मकरूह तन्ज़ीही है, चाहे सलातुत्तस्बीह हो या रमज़ानुल मुबारक इत्यादि में तहज्जुद की नमाज़ है। और तदाई

का मतलब यह कहा जाता है कि बाक़ायदा उसका एहतिमाम हो और लोगों को इसकी दावत दी जाए। इस मतलब के लिहाज़ से अगर एहतिमाम के बग़ैर मौजूद लोग किसी नफ़िल को अदा कर लें तो कराहत नहीं होगी लेकिन तदाई के दूसरे माने यह बताए गये हैं कि नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या ती से अधिक न हो। यदि उससे बढ़ जाएं तो तदाई का आदेश लग जाएगा और जमाअत मकरूह हो जाएगी। (शामी)

जमाअत–ए–सानिया (दूसरी जमाअत) का आदेश

यदि मुहल्ले की किसी मस्जिद में अज़ान व अक़ामत के साथ नमाज़ पढ़ ली हो तो वहां दूसरी जमाअत अज़ान व इक़ामत के साथ करना मकरूह तहरीमी () है। लेकिन इमाम अबूयूसुफ़ फ़रमाते हैं कि (अज़ान के बिना) यदि पहली जमाअत की हैयत () बदलकर जमाअत क़ायम की जाए तो वहां कराहत नहीं होगी, इस क़ौल को उलमा ने पसंद किया है। (शामी)

लेकिन मुनासिब यही है कि मुहल्ले वालों में कुछ लोगों की जमाअत छूट गयी हो तो वे दूसरी जमाअत न करें। मुसाफ़िर व दूसरे लोगों की छूट गयी हो तो वे पहली जमाअत की हैयत बदल कर कर सकते हैं। यह अन्तर इसलिये किया गया है कि मुहल्ले वालों को दूसरी जमाअत की आज्ञा दे दी जाए तो उनके दिलों से अस्ल जमाअत की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। मुसाफ़िरों को आज्ञा देने में यह ख़राबी नहीं है।

लेकिन अगर पहली जमाअत मुहल्ले वालों के बजाए दूसरे लोगो ने कर ली हो तो या मुहल्ले वालों ने ही धीरे अज़ान देकर कर ली हो या वह मुहल्ले के बजाए रास्ते या रोड़ के किनारे की मस्जिद हो जिसके नमाज़ी तय न हों, न इमाम व मुअज़्ज़िन तय हों, बल्कि अलग–अलग ग्रुप अगर नमाज़ पढते हों वहां दूसरी जमाअत सहमति से जायज़ है। (शामी)

किन लोगों के लिये जमाअत छोड़ने की गुंजाइश है:

जमाअत से नमाज़ पढ़ना अक़्ल वाले व्यस्क मुसलमान मर्दों पर वाजिब या सुन्नत–ए–मुअक्कदा है। यदि उन लोगो में से किसी की जमाअत छूट जाए तो उसे इजाज़त है कि चाहे तो क़रीब की दूसरी मस्जिद में जमाअत मिल सकती हो तो वहां जाकर जमाअत से नमाज़ पढ़ ले या मुहल्ले की मस्जिद में अकेले नमाज़ पढ़ ले। या घर में बीवी बच्चों के साथ जमाअत बना ले। यदि औरतों को नमाज़ पढ़ाना हो तो उनको अपने पीछे रखता ज़रूरी है। चाहे एक ही औरत क्यों न हो। (शामी)

और यदि किसी के अन्दर यह शर्तें नहीं पायी जा रही है तो उस पर जमाअत से नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं। इसीलिए निम्नलिखित लोगों पर जमाअत वाजिब या सुन्नत–ए–मुअक़्कदा नहीं है:

1– औरतों, बच्चों और पागल व्यक्ति पर जमाअत वाजिब नहीं है। इसलिये कि बच्चे और पागल पर इस्लाम का कोई भी आदेश लागू होता है और औरतों को जमाअत के क़रार से अलग कर दिया गया है। और घर में नमाज़ पढ़ने को उनके साथ ज़्यादा सवाब वाला क़रार दिया गया है। (अबूदाऊद)

2– जिनको कोई बीमारी हो (जिसकी वजह से मस्जिद जाने में परेशानी हो) या जो लुन्ज हो या जिसका एक हाथ और एक पैर अलग–अलग तरफ़ से कटा हुआ हो। या जो बहुत बूढ़ा हो गया हो और चल न सकता हो। इसी तरह यदि कोई अन्धा हो और उसको मस्जिद ले जाने वाला कोई न हो तो ऐसे लोगों पर जमाअत वाजिब नहीं रह जाती है। लेकिन यदि उन लोगों में से कोई मस्जिद जा सकता हो तो उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि जमाअत छूटने न पाए। इसलिए कि हज़रत अबूहुरैरा रज़ि0 से एक हदीस रिवायत है, फ़रमाते हैं कि एक नाबीना रसूलुल्लाह स0अ0 की सेवा में आया और उसने कहा कि: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई मस्जिद तक ले जाने वाला नहीं है और दरख़्वास्त की कि रसूलुल्लाह स0अ0 उनको घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दें तो आप स0अ0 ने उनको इजाज़त दे दी फिर जब वे जाने लगे तो आप स0अ0 ने उनको बुलाया और पूछा कि तुमको अज़ान सुनाई देती है? उन्होंने कहा: हाँ, तो आपने फ़रमाया: तो उसका जवाब दो। (यानि मस्जिद आकर नमाज़ में शिरकत करो) (मुस्लिम)

3– जब छोटे या बड़े इस्तिन्जा (मल–मूत्र) की हाजत महसूस कर रहा हो या खाना आ गया हो और

उसका दिल खाने में लगा हो, इसलिये कि हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स0अ0 ने फ़रमायाः खाने के आ जाने पर नमाज़ (कामिल) नहीं होगी, न उस हालत में कि उसे दोनो इस्तिन्जाओं में से कोई एक बहुत ज़ोर से लगा हो। (मुस्लिम)

4– जब बहुत सर्दी या बारिश व कीचड़ हो जिसके कारण जमाअत में शामिल होने में परेशानी हो तो उस हालत में भी जमाअत वाजिब नहीं रह जाती है। यदि कोई परेशानी न हो और बहुत आसानी से जमाअत में शामिल हो सकता हो तो जमात वाजिब होगी। कर्फ्यू के लागू होने पर भी इन्हीं कारणों पर क़यास किया जा सकता है। इसलिये कि दलील हज़रत उमर रज़ि0 की रिवायत है कि जब ठन्डक और बारिश की रात होती थी तो मुअज़्ज़िन को हुक्म देते थे कि वह कहेः सुनो! नमाज़ घरो में पड़ लो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

5– जब सफ़र का इरादा हो और जमाअत से नमाज़ पढ़ने से सवारी छूट जाने का डर हो।

6– किसी दुश्मन इत्यादि का डर हो। (शामी)

इमामत कौन कर सकता हैः

सेहतमन्द मर्दों की इमामत वही कर सकता है जिसके अन्दर छः शर्तें पायी जा रही होंः

1– मुसलमान हो।

2– अक़्ल वाला हो।

3– बालिग़ हो (व्यस्क हो)

4– मर्द हो। (यह शर्त उस समय नहीं है जब औरत दूसरी औरतों की या बच्चा दूसरे बच्चों की इमामत करे)

5– क़िराअत कर सकता हो।

6– ऐज़ार से ख़ाली हो।

इसीलिए यदि किसी के लगातार ख़ून निकल रहा हो तो वह सेहतमन्द लोगों की इमामत नहीं कर सकता है, अपने जैसों की कर सकता है।

इसी तरह ज़बान में लड़खड़ाहट हो और अल्फ़ाज़ सही न निकल पाते हों वह भी इस बीमारी से ख़ाली लोगो की इमामत नहीं कर सकता है।

यथार्थ यह कि इमाम या तो मुक्तदी से सेहत में अच्छा हो या बराबर हो, कम दर्जे का हो तो इमामत नहीं कर सकता है। (शामी)

तरावीह में हर चार रकआत के बाद ये दुआ पढ़ें:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ،

سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ،

سُبْحَانَ الْحَيِّ الْمَلِكِ الذِيْ لَايَمُوْتُ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ،

لَاإِلٰهَ إِلا اللّٰهُ، نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ۔

"اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ."

एतिकाफ़ के कुछ मसले

एतिकाफ़ अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ ठहरने और स्वंय को रोक लेने का है। शरीअत के अनुसार मस्जिद के अन्दर नियत के साथ अपने आप को कुछ विशेष चीज़ों से रोके रखने का नाम एतिकाफ़ है। रसूलल्लाह (स0अ0) ने एतिकाफ़ के विशेष लाभ बताए हैं। रसूलुल्लाह (स0अ0) ने कहा है कि एतिकाफ़ की हालत में एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से तो दूर रहता ही है और मस्जिद से बाहर न निकलने की वजह से जिन नेकियों से वंचित रहता है वो नेकियां भी अल्लाह तआला के करम से उसकी नेकियों में शामिल हो जाती हैं। रसूलल्लाह (स0अ0) ने जिस पाबन्दी से एतिकाफ़ किया उम्मुलमोमिनीन हज़रत आयशा रज़ि0 कहती हैं कि आप (स0अ0) वफ़ात (देहान्त) तक बराबर रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी दस दिनों में एतिकाफ़ करते रहे। फिर आप (स0अ0) के बाद आप की बीवियों ने भी एतिकाफ़ फ़रमाया। दस दिन का एतिकाफ़ आप (स0अ0) का नियम था। एक साल एतिकाफ़ न कर सके तो दूसरे साल बीस दिन का एतिकाफ़ फ़रमाया।

एतिकाफ़ के प्रकार

फ़ुक़हा (धार्मिक विद्वान) ने आदेश और महत्व के आधार पर एतकाफ़ की तीन क़िस्में बयान की हैं।

1– वजिब

2– मसनून

3– मुसतहब

वाजिब एतिकाफ़

किसी नज़र और मन्नत मांगने की वजह से दूसरी इबादतों की तरह एतिकाफ़ भी वाजिब हो जाता है। एतिकाफ़ कम से कम एक दिन का होगा उससे कम का नही और उसकी नज़र के समय रोज़ा रखने की नियत हो या न की हो, बहरहाल रोज़ा रखना आवश्यक होगा।

मसनून एतिकाफ़

रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी दस दिनों में एतिकाफ़ सुन्नते मुअक्कदा अलल किफ़ाया है यानि अगर किसी एक व्यक्ति ने एतिकाफ़ कर लिया तो सभी से सुन्नत को छोड़ने का गुनाह ख़त्म हो जाएगा और अगर किसी ने नहीं किया तो सभी सुन्नत को छोड़ने के गुनहगार होंगे। एतिकाफ़ मसनून के लिए रोज़ा ज़रूरी है।

एतिकाफ़ का तरीक़ा ये है कि बीस रमज़ानुल मुबारक को अस्र के बाद सूरज डूबने से पहले एतिकाफ़ की नियत से मस्जिद में दाख़िल हो जाए और उन्तीस रमज़ानुल मुबारक को ईद का चांद होने के बाद या तीस तारीख़ को सूरज डूबने के बाद वापस आ जाए।

नफ़िल एतिकाफ़

नफ़िल एतकाफ़ में न रोज़ा की शर्त है न मस्जिद में रात गुज़ारने की और न दिनों की कोई संख्या है जितने दिन और जितने क्षणों का चाहे एतिकाफ़ कर सकता है उसका तरीक़ा ये है कि मस्जिद में दाख़िल होते समय एतिकाफ़ की नियत कर ले। इस प्रकार जब तक वो मस्जिद में रहेगा एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा और जब बाहर आ जाएगा तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा।

एतिकाफ़ की शर्तें

एतिकाफ़ सही होने के लिए एतिकाफ़ करने वाले का मुसलमान और बालिग़ होना, नियत का होना, मर्द का नापाकी व औरत का माहवारी से पाक होना और ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना जिसमें पांच वक्त की नमाज़ अदा की जाती हो शर्त है। बालिग़ होना ज़रूरी नहीं बालिग होने के निकट और समझदार नाबालिग़ भी एतिकाफ़ कर सकते हैं। वाजिब और मसनून एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है।

एतिकाफ़ की बेहतर जगह

एतिकाफ़ उन इबादतों में से है जिसकी अदाएगी मस्जिद में होनी चाहिए, कहीं और बैठ जाना काफ़ी नही इसलिए कि यही रसूलल्लाह (स0अ0) का नियम रहा है और हज़रत अली रज़ि0 से रिवायत है कि आप (स0अ0) ने फ़रमाया कि एतिकाफ़ केवल मस्जिद में ही होता है। एतिकाफ़ के लिए मर्दों के हक़ में सबसे बेहतर मस्जिद–ए–हराम फिर मस्जिद–ए–नबवी फिर मस्जिद–ए–अक़्सा और फिर शहर की जामा मस्जिद जहां नमाज़ी अधिक आते हों और फिर अपने मोहल्ले की मस्जिद।

औरतों के लिए एतिकाफ़ करना सुन्नत है लेकिन ये ज़रूरी है कि शौहर से आज्ञा ले ले। औरत के लिए

मस्जिद में एतिकाफ़ करना मकरूह है। उनको घर में एतिकाफ़ करना चाहिए। अगर घर में पहले से कोई जगह एतिकाफ़ के लिए तय है तो वहीं एतिकाफ़ करे ये इमाम अबू हनीफ़ा रह0 की राय है क्योंकि इस दौर में औरतों का मस्जिद में एतिकाफ़ करना फ़ितने से ख़ाली नही इसलिए रसूलल्लाह (स0अ0) ने औरतों के मस्जिद में नमाज़ अदा करने के मुकाबले में घर में नमाज़ अदा करने को बेहतर क़रार दिया है।

एतिकाफ़ करने वाले को चाहिए कि अपना समय कुरआन पाक की तिलावत, रसूलल्लाह (स0अ0) की सीरत (चरित्र), अम्बिया व बुज़ुर्गों के वाक़्यों व हालातों और दीनी किताबों का अध्ययन और उन्ही चीज़ों को पढ़ाना, दीनी किताबों को लिखना या उनको एकत्रित करने इत्यादि में अपना समय लगाएं। एतिकाफ़ की हालत में खुशबू वग़ैरह लगा सकते हैं। एतिकाफ़ के आदाब में ये भी है कि मस्जिद के आदाब का लिहाज़ रखा जाए। मस्जिद में सामान लाकर ख़रीदा–बेचा न जाए हाँ अगर सौदा बाहर हो तो इस तरह के मामले की गुंजाइश है। इबादत समझ कर बिल्कुल ख़ामोश रहना या बेहूदा और नामुनासिब बातें करना भी मकरूह है।

एतिकाफ़ को तोड़ने वाली चीज़ें

बीवी से हमबिस्तरी, मस्जिद के अन्दर हो या बाहर, जानबूझ कर हो या भूल से, दिन में हो या रात में, वीर्य निकले या न निकले, हर हाल में एतिकाफ़ टूट जाएगा। हमबिस्तरी से पहले के मामले यानि छूना या चूमना इत्यादि भी जाएज़ नही मगर उससे एतिकाफ़ नही टूटेगा बल्कि बीवी से बातचीत करना सही है।

इसी प्रकार ऐसी बेहोशी जो एक दिन से अधिक हो गयी हो तो एतिकाफ़ टूट जाता है औरत को मासिक धर्म आ गया तो उससे भी एतिकाफ़ टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा वाजिब होगी। दिन में जानबूझ कर खा पी लेने से रोज़ा ख़राब हो जाता है और एतिकाफ़ भी टूट जाता है।

मस्जिद से बाहर निकलना

बिना आवश्यकता मस्जिद से बाहर निकल जाने से भी एतिकाफ़ टूट जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रह0 के नज़दीक तो बिना आवश्यकता थोड़ी देर के लिए निकलने से भी एतिकाफ़ ख़राब हो जाता है। लेकिन साहिबैन रह0 के निकट दिन रात के अधिकतर भाग में मस्जिद से बाहर रहने से एतिकाफ़ ख़राब हो जाता है। अल्बत्ता किसी ज़रूरत के लिए बाहर निकला जा सकता है। ये आवश्यकता दो प्रकार की है।

1– स्वाभाविक 2– शरई

स्वाभाविक आवश्यकता से मुराद पेशाब पाखाना गुस्ल (स्नान) वाजिब (अनिवार्य) हो जाने की स्थिति में गुस्ल (स्नान) के लिए निकलना।

खाना लाने वाले न हों तो खाने के लिए निकलना इत्यादि शामिल है। मगर इन सूरतों में भी आवश्यकता से अधिक नहीं ठहरना चाहिए। इन्ही शरई कामों में उलमा ने हुक़्क़ा को शुमार किया है कि मस्जिद से बाहर जाकर हुक़्क़ा पीकर बदबू मिटाकर मस्जिद में आ जाना चाहिए। यही तरीक़ा उन लोगों को भी अपनाना चाहिए जो सिगरेट पान वग़ैरह के आदी हों।

शरई आवश्यकताओं में से ये भी है कि अगर ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहा है जहां जुमा नही होता है तो जुमा के लिए जामा मस्जिद जाना सही है। बल्कि इसकी रिआयत जरूरी है कि केवल इतनी देर दूसरी मस्जिद में ठहरे कि तहीयतुल मस्जिद पढ़ ले। सुन्नत अदा कर ले फिर ख़ुत्बे से जुमा के बाद की सुन्नतें अदा करने के बाद जल्द से जल्द अपनी मस्जिद में आ जाए देरी मकरूह है।

अगर कोई शख़्स जबरन निकाल दे या मस्जिद टूट जाए जिसकी वजह से निकलना पड़े या उस मस्जिद में जान व माल का ख़तरा हो जाए तो उन सभी हालतों में उस मस्जिद के बजाए दूसरी मस्जिद में जाकर एतिकाफ़ कर लेना सही है और उससे एतिकाफ़ में कोई ख़लल नही पड़ेगा लेकिन दूसरी मस्जिद में फ़ौरन बिना देर किये चला जाए इसी प्रकार अगर एतिकाफ़ के बीच मस्जिद से निकल कर अज़ान देने के लिए मीनार पर चढ़ जाए तो इसकी भी इजाज़त है।

एतिकाफ़ की क़ज़ा

अगर एतिकाफ़ वाजिब (अनिवार्य) था और किसी वजह टूट गया तो उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा रह0 के नज़दीक मसनून (सुन्नत) एतिकाफ़ में केवल उस दिन की क़ज़ा करनी होगी जिस दिन का एतिकाफ़ टूट गया जबकि इमाम अबू यूसुफ़ रह0 के निकट पूरे दस दिन की क़ज़ा वाजिब होगी। मशहूर फ़क़ीह अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हुमाम रह0 का रुझान भी इसी तरफ मालूम होता है इसलिए यही अधिक अच्छा तरीक़ा है कि पूरे अशरे की क़ज़ा की जाए।

नाम के रोज़ेदार

मुहम्मद अरमुग़ान बदायूंनी नदवी

हदीसः हज़रत अबूहुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स0अ0 ने इरशाद फ़रमायाः जिसने (रोज़े में) झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह को इस बात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना–पीना छोड़ दे।

फ़ायदाः रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकत का ख़ज़ाना, रहमत का साया, मग़फ़िरत का शामियाना है। इस महीने में नमाज़ों और नमाज़ियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो जाती है। मस्जिदें आबाद नज़र आती हैं। कुरआन मजीद की तिलावत का आम माहौल होता है। मुहल्लों और सड़कों पर दीनदारी नज़र आती है। हर रोज़ेदार बेकार की बातचीत से बचने की कोशिश करता है और भलाई के कामों से जुड़ने की कोशिश करता है। हक़ीक़त में रोज़े का मक़सद भी यही है कि इनसान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में अल्लाह तआला का मुस्तक़िल लिहाज़ पैदा हो जाए। कुरआन मजीद में इसी मक़सद को बहुत अच्छे तरीक़े से बयान करते हुए कहा गया है किः "ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गये, जैसा कि तुमसे पहले लोगो पर किये गये थे, अजब नहीं कि तुम मुत्तकी बन जाओ।" इस आयत से मालूम हुआ कि रोज़े का बुनियादी मक़सद सिर्फ़ इनसान को भूखा–प्यासा रखना नहीं है बल्कि इनसान के अन्दर तक़वे की वह ख़ूबी पैदा करना है जिसकी बुनियाद पर इनसान हर तरह के गुनाहों से नफ़रत करने लगे। हर काम में उसको अल्लाह का ध्यान पैदा होने लगे। जिस तरह रोज़े में इनसान ग़लत काम से इसलिये बचा रहता है कि उसका रोज़ा है, इसी तरह रोज़े के अलावा दूसरे दिनों में भी ग़लत कामों से इसीलिए दूर रहे कि वह एक मुसलमान है।

रिवायत में आता है कि जब रजब का महीना शुरू होता तो आप स0अ0 रमज़ान की तैयारियां करना शुरू कर देते। रजब व शाबान के महीनों में रोज़े रखते। बरकत की दुआंए मांगते। रमज़ान तक पहुंचने की दुआ करते और रमज़ान का इस तरह स्वागत करते जैसे किसी बहुत बड़े मेहमान का स्वागत हो। इसी तरह सहाबा किराम रज़ि0 व औलियाए किराम रह0 के मामूलात (प्रतिदिन की तस्बीह) का अध्ययन करने से मालूम होता है कि वे रमज़ान के महीने का हर समय इन्तिज़ार करते, बहुत ही ख़ुशी के साथ रमज़ान का स्वागत करते, रातों का अधिकतर हिस्सा जागकर अल्लाह तआला की इबातद में गुज़ारते, दिनों में भी आम मामूलात से हटकर ज़्यादातर हिस्सा तिलावत व ग़रीबों और मिस्कीनों की मदद करने में गुज़ारते, कुरआन मजीद के कई दौर मुकम्मल करते।

नबी पाक स0अ0 और अकाबिरे उम्मत के बारे में सक्षिप्त जानकारी करने के बाद आज हम अपना निरीक्षण करें तो मालूम होगा कि मामला उसके बिल्कुल विपरीत है। न रमज़ान से पहले उसके आने का इन्तिज़ार होता है। न इस महीने के शुरू होने पर इबादतों की कोई ख़ास पाबन्दी होती है। और न ही ऐसे मुबारक महीने के ख़त्म हो जाने के बाद ज़िन्दगियों पर उसका कोई ख़ास असर नज़र आता है। जबकि रमज़ान में रोज़े के फ़र्ज़ होने का मक़सद यह था कि लोगों के अन्दर तक़वे वाली सिफ़त पैदा हो। जिन्दगी के हर मोड़ पर अल्लाह तआला के हुक्मों का लिहाज़ रहे। लेकिन आजकल यह ख़्याल लोगो के ज़हनों से निकल गया है। और यह बात आम हो गयी है कि रोज़ा वह रखता है जिसके पास खाने–पीने को न हो। और दूसरी तरफ़ ख़ुद रोज़ा रखने वालों का आम तौर पर यह मिज़ाज बन गया है कि हमने रोज़ा नहीं रखा तो समाज के लोग हमको बुरी नज़र से देखेंगे। यही कारण है कि आज रोज़े का वह असर ख़त्म हो गया जो पुराने ज़माने में हुआ करता था। हक़ीक़त यह है कि अगर रमज़ान के महीने से हमारी जिन्दगियों में बदलाव नहीं होता तो हमारा रोज़ा बेरूह है, सिर्फ़ खाना पीना छोड़ दिये जाने वाला रोज़ा है, इस तरह के रोज़े के बारे में हदीस शरीफ़ में आता है कि "ऐसे रोज़े की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं।"

शब–ए–क़द्र

मौलाना शमसुल हक़ नदवी

रमज़ानुल मुबारक वो मुबारक महीना है जिनमें मानवता को उसकी मार्गदर्शक किताब मिली। ज़िन्दगी के हंगामों, हवस के तूफ़ानों, हिस्र व लालच की जगह जीवन व्यतीत करने की पूरी व्यवस्था मिली।

"रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरआन नाज़िल हुआ।" (सूरह बक़रा)

इसी मुबारक महीने की वह मुबारक रात थी जिसमें खुदा का कलाम–ए–रूह परवर उतरा। कितनी सुहानी, कितनी रोशन और कितनी नूरानी है वह रात जिसमें मिट्टी के पुतले को ज़िन्दगी की राहों में चलने के लिये हिदायत का रोशन चिराग़ मिला। वो रात है लैलतुल क़द्र। इज़्ज़त व एहतराम की रात। वह रात जो हज़ार महीनों से बेहतर है। दो फ़रिश्तों के आने की रात है कि आसमान की बातें ज़मीन वालों को सुनाएं। वो अमन व सलामती की रात है कि उसमें दुनिया के लिये अमन व सलामती का पैग़ाम उतराः

"हमने कुरआन को इज़्ज़त व हुरमत (एहतराम) वाली रात में नाज़िल किया और हाँ तुम्हे किसने बताया कि इज़्ज़त व हुरमत (एहतराम) वाली रात क्या है? वह जो हज़ार महीनों से बेहतर है जिसमें फ़रिश्ते और रूहुल्कुद्स अल्लाह के हुक्म से नाज़िल (अवतरित) होते हैं इस रात में सुबह सादिक (प्रातः काल) तक बरकतों और रूहानी रौनक़ों का ये सिलसिला जारी रहता है।" (सूरह क़द्र)

यही वह मुबारक रात थी जिसमें अल्लाह की बरकतों की हम पर सबसे पहली बारिश हुई। यही वो मुबारक रात थी जिसमें आसमानी रहमतों ने ज़मीन को मालामाल किया। लिहाज़ा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इस मुबारक रात में खुदा की रहमतों का मांगने वाला हो और उस रहमान और रहीम के आगे सर झुका दे और गुनाहों से लदे अपने माथे को बहुत ही विनम्रता के साथ ज़मीन पर रख दे और बहुत ही विनम्रता के साथ कहेः

"ऐ अल्लाह! तू बहुत ही माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसन्द करता है, बस तू हमें माफ़ कर दे।"

यही वह दुआ थी जिसको अल्लाह के रसूल स0अ0 ने उम्मुल मोमीनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ि0 के पूछने पर कि अल्लाह के रसूल शब–ए–कद्र में क्या दुआ मांगू तो आपने ये दुआ बतायी थी।

हाँ ये इसी मुबारक महीने की मुबारक रात है जिसमें रहमतों की घटांए झूम–झूम कर बरसती हैं। बरकतों के कमल खिलते हैं। माफ़ी के ख़ज़ाने लोगों के लिये खोल दिये जाते हैं। जन्नत का टिकट सस्ता हो जाता है। तो क्यों न हम अपने रब से लौ लगांए और अपनी मुराद का दामन भर लें यानि अपनी बिगड़ी बना लें। शब–ए–क़द्र इतनी क़ाबिल–ए–क़द्र (मूल्यवान) है कि इस रात में बार–बार ये खुदाई ऐलान होता रहता है किः

"है कोई माफ़ी चाहने वाला, कि मैं उसे माफ़ कर दूं, है कोई आफ़ियत चाहने वाला कि मैं उसे आफ़ियत अता कर दूं, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि मैं उसे रोज़ी इनायत करूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसके सवालों को पूरा करूं।"

लैलतुल क़द्र या शब–ए–क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अशरे (अन्तिम दस दिन) की ताक़ (विषम) रातों में है। हज़रत ओबादा बिन साबित रज़ि0 ने शब–ए–क़द्र के बारे में हुजूर स0अ0 से पूछा तो आपने इरशाद फ़रमाया कि रमज़ान के आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में है यानि इक्कीस, तेइस, पच्चीस, सत्ताइस या उन्तीसवीं या रमज़ान की आख़िरी रात में भी हो सकती है।

जो शख़्स ईमान के साथ सवाब की नियत से इस रात में इबादत करे, उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जबकि उलमाए उम्मत का ख़्याल है कि रमज़ान की सत्ताइसवीं रात में शब–ए–क़द्र होने की संभावना बहुत अधिक है।

लेकिन इस मुबारक रात के छुपाये रखने में बड़ी मसलिहत () है कि हम गुनहगार बन्दे इसकी तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा अपने रहीम व करीम आक़ा से लौ लगा सकें उसकी रहमत से अपने गुनाहों को धो लें।

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स0अ0 ने फ़रमाया कि जब शब–ए–क़द्र होती है तो ज़िबरील अलै0 फ़रिश्तों की एक जमाअत के साथ दुनिया में नाज़िल होते हैं और उस शख़्स के लिये जो खड़े या बैठे अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो और इबादत में लगा हुआ हो रहमत की दुआ करते हैं।

शब–ए–क़द्र की फ़ज़ीलत के सिलसिले में है कि वो हज़ार महीनों से बेहतर है। हज़ार महीनों को अगर जोड़ा जाये तो 83 साल 4 महीने का समय होता है। यानि अगर किसी को इस रात में इबादत करना नसीब हो जाये तो दूसरी ख़ास रहमतों और बरकतों के इलावा वो 83 साल 4 महीनों की इबादत के सवाब का मुस्तहिक़ (अधिकारी) होता है बल्कि इससे भी ज़्यादा का क्योंकि कुरआन में लैलतुल क़द्र को हज़ार महीनों के बराबर नहीं हज़ार महीनों से बेहतर फ़रमाया गया है और अल्लाह की कुरदत और उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं कि वो जो चाहता है करता है और जो इरादा करे उसका फ़ैसला करता है।

अब जबकि मौसमें बहार चल रहा है तो क्यों न हम अपने आक़ा की तरफ़ पूरे तौर से ध्यानमग्न हो जांए और बहुत ही विनम्रता के साथ उससे दिल लगांए और अपनी ग़लतियों को माफ़ करा ही कर दम लें कि पता नहीं ये दिन फिर नसीब हों या न हों।

बड़ा बदनसीब है वो व्यक्ति जिसको ख़ैर व बरकत की यह रात मिले और वह इससे फ़ायदा न उठाये। हज़रत अनस रज़ि0 ने फ़रमाया कि बार रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हुजूर स0अ0 ने फ़रमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। जो शख़्स इस रात से महरूम रह गया वो मानो सारी ख़ैर से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख़्स जो हक़ीक़त में महरूम ही है।

हदीस शरीफ़ में आता है कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जो शख़्स मेरी तरफ़ एक हाथ क़रीब होता है मैं उससे दो हाथ क़रीब होता हूं और जो मेरी तरफ़ आहिस्ता भी चलता है तो मैं उसकी तरफ़ दौड़कर चलता हूं।

अल्लाह तआला का ये रहम व करम आम दिनों में होता है तो जो व्यक्ति लैलतुल क़द्र में अल्लाह तआला की याद व इबादत में लगा हुआ हो उसके साथ अल्लाह की रहमत व इनायत का क्या मामला होगा। उस रात में तो उनके दर पर पड़ जाये।

रमज़ानुल मुबारक और लैलतुल क़द्र की अज़मत का तो यह आलम है कि जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों से पूछता है कि क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो कहते हैं कि हमारे माबूद, हमारे आक़ा उसका बदला यही है कि उसकी मज़दूरी पूरी–पूरी दे दी जाये। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाते हैं कि ऐ फ़रिश्तों! मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, मैंने इनको रमज़ान के रोज़े और तरावीह के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी और बन्दों से इरशाद फ़रमाता है कि ऐ मेरे बन्दों, मुझसे मांगों, मेरी इज़्ज़त की क़सम, मेरे जलाल की क़सम, आज के दिन इस महफ़िल में मुझसे अपनी आख़िरत के बारे में जो भी सवाल करोगे, अता करूंगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलिहत पर नज़र करूंगा। मेरी इज़्ज़त की क़सम जब तक तुम मेरा ख़्याल रखोगे, मैं तुम्हारी कमज़ोरियों को छिपाता रहूंगा। मेरी इज़्ज़त की क़सम और मेरे जलाल की क़सम, तुम्हे मुजरिमों के सामने ज़लील और रूस्वा न करूंगा।

बस अब बख़्शे बख़्शाए अपने घरों को लौट जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। फ़रिश्ते ये देखकर खुशियां मनाते हैं और उनके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं।

रमज़ानुल मुबारक की अहम दुआएं

जब चांद देखें तो ये दुआ पढ़ें:

”اَللهُم اهِلهُ عَلَيْنَا بِالْامْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسلاَمَةِ وَالْاِسْلاَمِ

رَبيُ وَرَبكَ اللّٰهُ هِلاَلَ رُشْدٍ وخَيْرٍ“

इफ़्तार से पहले ये दुआ पढ़ें:

”يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اِغْفِرْلِىْ“

इफ़्तार के वक़्त ये दुआ पढ़ें:

”اَللهُم لَكَ صُمْتُ وَعَلىٰ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ “

इफ़्तार के बाद ये दुआ पढ़ें:

”ذَهَبَ الظمَا وَابْتَلتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰه“

किसी के यहां इफ़्तार करें तो ये दुआ पढ़ें:

”اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ

وَصَلتُ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ“

तरावीह में हर चार रकआत के बाद ये दुआ पढ़ें:

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ،

سُبْحَانَ ذِى الْعِزةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ،

سُبْحَانَ الْحَي الْمَلِكِ الذِيْ لَايَمُوْتُ، سُبوُحٌ قُدوُسٌ رَب الْمَلاَئِكَةِ وَالروُحِ،

لَاإِلٰهَ إِلا اللّٰهُ، نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، نَسْالُكَ الْجَنةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النارِ۔

”اَللهُم اِنكَ عَفُو تُحِب الْعَفُوَ فَاعْفُ عَنّيْ. “

Back inner front June-July

R.N.I. No.
UPHIN/2009/30527

Monthly
ARAFAT KIRAN
Raebareli

Postal Reg. No.
RBL/NP - 10

ISSUE:06-07 JUNE - JULY 2016 VOLUME: 08

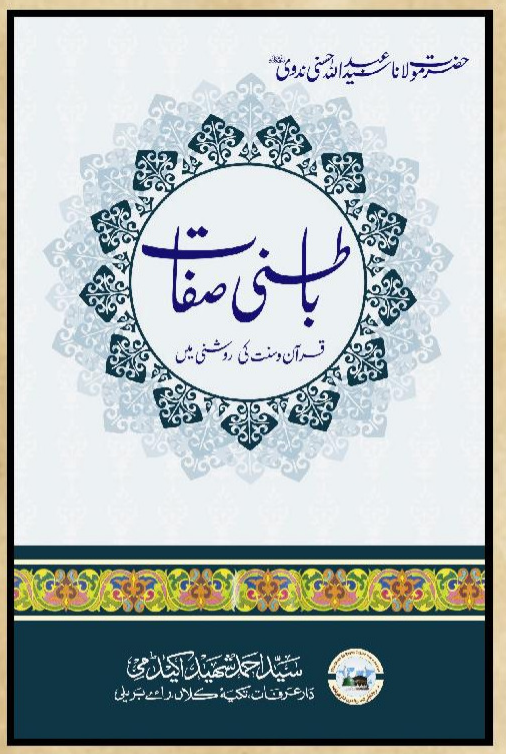

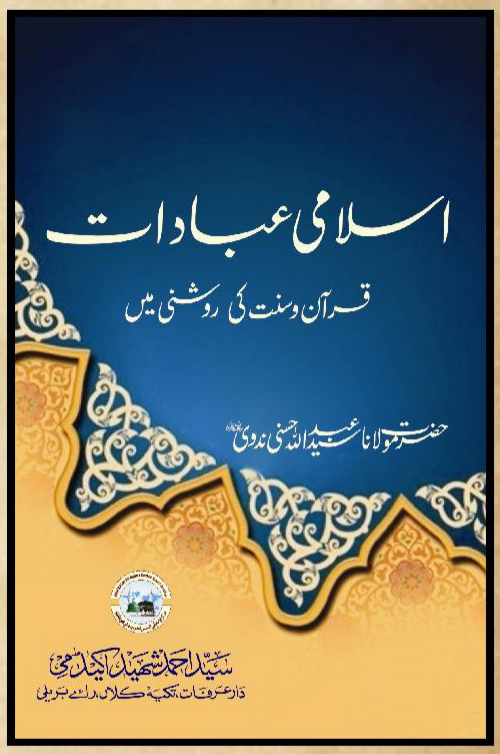

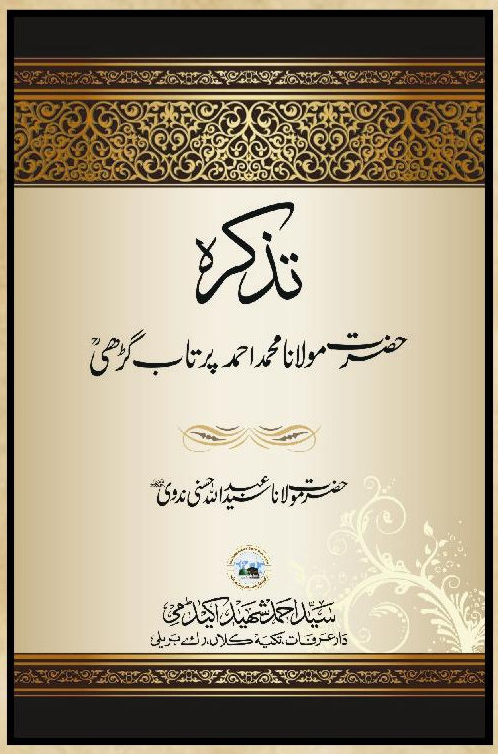

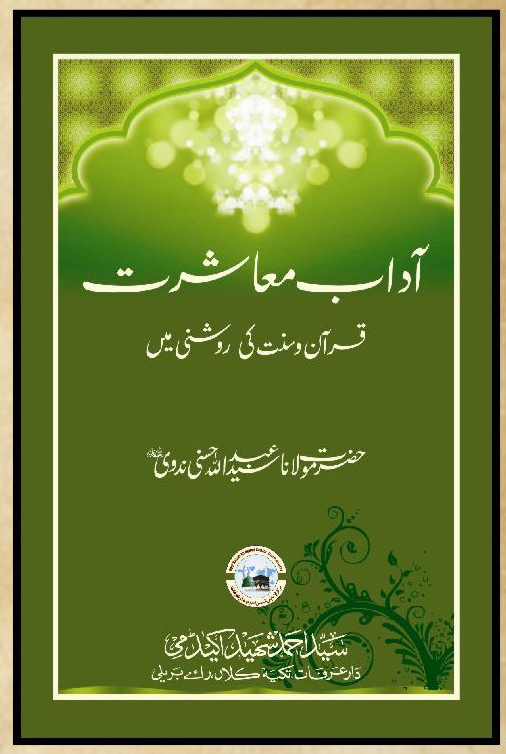

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi
MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI
Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile:9792646858
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche,Phatak Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.